season. In the case of Urad, no support price was announced for 1978-79 marketing season. In fixing higher prices for 1979-80 marketing season, the Government have been guided by the considerations, namely, (i) the need for providing requisite impetus to the development programme of these crops; and (ii) to help improve the supply-demand balance in respect of pulses.

The price support operations will be undertaken by the State Government/their agencies and Central agencies. They are being advised to make necessary arrangements in this behalf.

14.05 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL—contd.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. Pratap Chandra Chunder on the 30th April, 1979, namely:--

"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, be taken into consideration".

Shri Saeed Murtaza was to continue his speech, but he has made a request that he wants to speak later. I am sorry that since he is in the midst of his speech, it would not be possible to permit him to speak later.

SHRI G. S. REDDI (Miryalguda): Mr. Chairman, Sir, the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill is before us. It is a major issue because it concerns the minorities of India The Muslim minority is an important element in our country and when the Muslims of the whole country desire that the Aligarh Muslim University should be given a minority character, I do not understand why the Government is hesitating in this matter. Our Education Minister accepts that this University is meant to promote Muslim culture and the Muslim interests. If that is so, I do not understand, why it should not be allowed to be administered by the Muslims of India also. There have been agitations for this for a long time.

Parliament has got the powers to give this University its proper character. In spite of the fact that the Supreme Court of India has given a different interpretation, it is left to us, the Members of this Parliament to consider deeply why this character should not be given to this University.

There are already several Bills before Parliament which create tension and fears in the minds of minorities in India. There is the Bill concerning Cow slaughter, the Aligarh Muslim University Bill, Freedom of Religions Bills etc.—all are already creating tension and fear in the minds of minorities; not only the Muslims, Christians, but Sikhs and other minorities also. What would happen to the secular character of our Constitution, if we are not able to take care of them? The Government should not, therefore, hesitate in any way, but should come forward to give right hand to these minorities to grow and develop and they should not fear the major communities in India. Some of the minority institutions enjoy minority character, but they, for example, the Christian institutions had to go to the court to establish their minority character and rights under Article 30(1) of the Constitution. I have got a list of a series of these cases; they had to go to the Supreme Court because of the policies adopted by the different States to establish the minority character and the rights accruing to them under Article 30(1) of the Constitution. The hon Education Minister is a protector of Muslim interests and culture. I would appeal to the Government and to him that this should be translated into practice by granting this Muslim University the character of a minority institution under Article 30(1). I appeal that there should not be any hesitation, on our

[Shri G. S. Reddy]

part, to satisfy the minorities in our country. Ours is a secular country; and we should practise this secular character by means of these institutions which are so close to the hearts of these communities. Thank you.

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जनाब सदर साहब, आज यह खुशी का मौका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल इस हाउस के अन्दर डिसकशन के लिए लाया गया है। गो इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन मैं जानता हूं कि किस वजह से नहीं आ पाया। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, यह कहे बगैर मैं नहीं रह सकता हूं। पिछली बार और आज जो तकरीरें यहां पर हुई उधर से और इधर से जो उनको मैंने बहुत गौर से सुना। मुझे अफसोस है कि उधर के भाइयों ने उस वक्त इस तरह की तकरीरें नहीं की जब मुसलमानों के जजबात का खून किया जा रहा था उस वक्त इन लोगों ने यहां के मुसलमानों के जजबात का खयाल किया और न यूनिवर्सिटी के जजबात का खयाल किया और न इस बात का खयाल किया कि यहां यहां माइनोरिटीज को भी कुछ हक हासिल है कि वे किसी इंस्टीट्यूशन का कायम कर सकती है। उस वक्त ये नहीं जानते थे कि आर्टिकल तीस भी कोई कांस्टीट्यूशन का है जो एग्जिस्ट करता है। उस वक्त तो इनको यही पता था कि इस मुल्क में एक हो शख्सियत है जो इस मुल्क को मालिक है और वह जो हुक्म देगी उस पर इनको हर तरीके से अमल करना होगा, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, हर तरीके के उसकी विशिज को पूरा करना होगा। मेरे खयाल में इनको याद होगा कि 1965 में एक बहुत मामूली सा वाका हुआ था और वाका क्यों और कैसे हुआ इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा और न ही जाने का यह मौका है लेकिन उस वाके को लेकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो करेक्टर था उसको खत्म कर दिया गया था और इस चीज को आज भी हमें भुगतना पड़ रहा है। चौदह साल हो गये हैं और इसको हम भुगत रहे हैं। मुसलमानों के जजबात को जो ठेस पहुंच रही है, उसके जिम्मेदार कौन हैं? पिछली बार चन्दर साहब ने कहा था कि 1965 और 1972 में जबकि इस यूनिवर्सिटी का खून किया गया था तब मुसलमान एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे जो प्रीवियस डिक्टेटर थे उनका तो रवैया ही यह रहा था कि जिस कम्यूनिटी का खून करना होता था, उसके हकूक को जरब पहुंचानी होती थी, उसका गला घोटना होता था तो वे समझते थे कि ऐसा करने का सब से बेहतर तरीका यही हो सकता है कि उस कम्यूनिटी के आदमी को आगे करके उसका खून किया जाए। खैर जो हुआ वह सब आपके सामने है।

मैं अपनी हकूमत का मशकूर हूं कि वह इस बिल को लाई है। जिन बातों की हमारी डिमांड थी उन मे से बहुत सी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। आप कोर्ट को लें। इसके कम्पोजीशन को देखें। उसको इन्होंने आटोनोमी दी है और वह रूल बनाएगी जिन पर एग्जेक्टिव अमल करेगी। लेकिन कोर्ट के कम्पोजीशन के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कोर्ट पालिसी मेकिंग बाडी है और इसके अन्दर 162 आदमियों में से 105 आदमी यूनिवर्सिटी के रख दिए गए है और सिर्फ 57 आदमी बाहर के हैं। इसका मतलब यह होता है कि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उन्हीं की विशिज के मुताबिक चला जाएगा, उनके जो इंटरस्ट्स होते हैं, उन्हीं को पूरा किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिये। जो पालिसी मेकिंग बाडी हो वह ऐसी होनी चाहिए कि पूरी कम्युनिटी को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले ताकि यूनिवर्सिटी की जो पालिसी बने वह तमाम कम्युनिटी के जजबात के मुताबिक बनें न कि

उनके मफाद के लिये जो कि यूनिवर्सिटी में पहले से ही मौजूद हैं और जिनके इंटरेस्ट्स इन्वाल्व्ड हैं ।

एग्जेक्टिव में भी रिप्रेजेंटेशन की बात को आप देखें । उस में भी रिप्रिजेंटेशन उतना नहीं दिया गया है जितना देना चाहिये था । स्टैचूट 26 को आप एमेंड कर रहे हैं । उसके अन्दर फाइनेंस कमेटी का क्रियेशन किया गया है । उस में भी दो ही ऐसे मेम्बर हैं जो इलेक्टिड हैं, वर्ना बाकी एक्स आफिशो या नामिनेटिड मेम्बर ही है । इसमें भी तरमीम होना चाहिये ।

बहुत ज्यादा डिटेल्ज में जाने का वक्त नहीं है । मुझे यहां पर एक शेर याद आता है जिसको पढ़े बगैर मैं इस वक्त नहीं रह सकता हूं. :

किस्मत की ख़ूबी देखिये टूटी कहां कमद
दो चार हाथ जब कि लबे बाम रह गया ।

तमाम खूबियों के बावजूद यह बिल ऐसा है, एक ऐसी दोशीज़ा के मानिन्द है, दुल्हन के मानिन्द है जो निहायत खबसूरत तो है, बहुत हसीन और एट्रैक्टिव तो है लेकिन जिसकी आंखें फोड़ दी गई हैं । यहां मेरा मतलब है कि इस सब के बावजूद कि इतना कुछ दिया है, वह चीज़ नहीं दी गई है जिसकी हम लोगों ने डिमांड की थी, जिसको हम मांगते थे यानी माइनोरिटीज करेक्टर अंडर आर्टिकल 30 (1) ।

कल हमारे मिनिस्टर साहब ने जो स्पीच की है, उसमें तीन-चार चीजें बताई हैं, जिनकी वजह से उन्होंने इसको माइनारिटी करेक्टर नहीं दिया । नम्बर 1, चैटर्जी कमेटी की रिपोर्ट, नं० 2, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नम्बर 3, एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर पार्लियामेंट का हाथ न होना । यह तीन बातें मैन हैं, फिर बाद में मैं एक और के बारे में कहूंगा ।

चैटर्जी कमेटी की जो रिपोर्ट यूनिवर्सिटी एग्ज़ीक्यूटिव ने बनाई थी, उसको क्वोट किया है । उससे यह साबित करने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्सिटी का करेक्टर हमेशा सैकुलर रहा है । इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको डाउट नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसका फंक्शनिंग सैकुलर रहना चाहिए और यूनिवर्सिटी का वह फंक्शन सैकुलर रहा है । उसकी मिसाल डा० साहब ने दी भी दी थी कि इसका पहला स्टूडैंट बी० ए० की जिसने डिग्री हासिल की वह नानमुस्लिम था और एम० ए० की पहली डिग्री हासिल करने वाला भी नानमुस्लिम था । इसके प्रोफेसर्स भी बहुत से नान मुस्लिम हैं । आज भी इसके अन्दर बहुत बड़ी तादाद टीचर्स में नानमुस्लिमों की है और स्टूडैंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में नानमुस्लिम हैं । लेकिन इस चैटर्जी कमेटी की रिपोर्ट में 1872 की रिपोर्ट का भी ज़िक्र आया है जिसमें कि मोहम्मडन एंग्लोओरिएण्टल फंड कमेटी का जिक्र है । मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं —

"I think what we mean to found is not a college, but a university."

इसका मतलब यह है कि जब कालेज हमने बनाया, जब इस मुल्क के मुसलमानों ने इकट्ठे होकर इस कालेज की बुनियाद रखने की बात सोची, तो उनके जहन में कालेज नहीं था, बल्कि यूनिवर्सिटी थी । तो यह बात बिल्कुल साफ है कि हम जिस चीज की बुनियाद लेकर चले हैं, वहां से यूनिवर्सिटी को लेकर चले है, न कि कालेज को ।

दूसरी बात आपने फरमायी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला । अजीज पाशा साहब ने 1965 का केस किया था । 1965 के केस में एस्टैब्लिश के एक खास मायने दिये गये—टू ब्रिंग इन-टू इग्जिस्टैंस । जब कि उन्होंने लिखा है कि एस्टैब्लिश के मायने दो हैं— फाउंड एंड टू ब्रिंग

[श्री शाद मसूद]

इन एग्जिस्टैंस । दोनो को उन्होने इसमे मुत्तफिक माना है कि यह दोनो मायने है, लेकिन मै नही जानता कि किन वजहात की बिनाह पर उन्होने इस एस्टैबलिश के बहुत महदूद से मायने—टू ब्रिंग इन टू एग्जिस्टैंस ले लिये है ।

जैसा ग्राप जानते है, अगर ग्राज कोई भी यूनिवर्सिटी बनाई जाये तो यकीनन वह गवर्नमेंट के एक्ट के मुताबिक ही वजूद मे ग्रायेगी, वही तो नही ग्रा सकती । अगर इस बात को मान लिया जाये जैसे सैक्शन 21, 23 यू०जी०सी० एक्ट मे है तो कोई यनिवर्सिटी गवर्नमेंट के एक्ट के बगैर वजूद मे नही ग्रा सकती है । तो मैं यह जानना चाहता हू कि क्या ग्राटिकल 30 के अन्दर जो—टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, इस्टीट्यूशन्स ग्राफ देयर ग्रोन चायस दिया गया है, लिगुइस्टिक ग्रौर रिलीजस माइनौरिटीज को हक दिया गया कालेज बनाने का तो इसके जवाब मे यह कहा गया ग्रजीज पाशा के केस मे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इत्तिफाक किया है कि इस्टीट्यूशन का मतलब यूनिवर्सिटी भी है। तो माइनौरिटी यूनिवर्सिटी अगर कायम करना चाहते है तो वह कैसे करेगे? ग्रगर यह बात मानी जायेगी कि एक के जरिये करे, तो वही बात हो गई कि एक्ट के जरिये करे तो यूनिवर्सिटी तो माइनौरिटीज की नही है । हमे बताइये कि इस ग्राटिकल 30 का कोई मकसद रह गया है ? मैं समझता हू कि इसका कोई मकसद नही है । इससे बेहतर है कि कान्स्टीट्यूशन मे ग्रमेंडमेंट कर के ग्राप इस ग्राटिकल को निकाल दे । ग्रगर ग्राटिकल उसमे रहता है तो इसका पूरा हक हमे देना चाहिये । इसके इस्तेमाल का हक मुस्लिम कम्युनिटी को, ग्रौर दूसरी माइनारिटी ग्रौर लिगुइस्टिक माइनौरिटीज को मिलना चाहिये ।

यह भी ग्रग्यूमेंट दी गई है कि 1921 मे तो प्राइवेट यनिवर्सिटी हो सकती थी । उस समय यह क्यो नही किया, इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना लिया होता ग्रौर गवर्नमेंट के एक्ट के जरिये इसको वजूद मे नही लाये होते । जैसा ग्राप जानते है शुरु से ही जब से कालेज की बुनियाद पडी, एंग्लो मोहमडन के वक्त से ही यह मकसद था कि मुसलमानो की माशी हालत जो खराब है, जो मुसलमान अंग्रेजी नही पढते, जिसका ताल्लुक डायरेक्ट रोटी-रोटी मे है, उनको यहा पढ़ाया जाये जो ग्रपनी रोजी-रोटी कमा सके, मुसलमानो, को भी गवर्नमेंट मे सर्विस मिल सके । 1920 मे भी यही बात ग्राई, यूनिवर्सिटी कायम कर सकते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर कायम करते तो क्या गवर्नमेंट के मुलाजिमान से जगह होती ? मैं समझता हू कि वह नही होती । सिर्फ इसी वजह से कि हमको गवर्नमेंट मे मुलाजमत मिल सके, हम ने इस यूनिवर्सिटी को एक एक्ट के मातहत बनाया, हालाकि हम यूनिवर्सिटी को कायम करने की ताकत रखते थे ।

ग्राप को हिन्दुस्तान मे ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नही मिलेग जिस का ड्राफ्ट बिल प्राइवेट लोगो ने तैयार किया हो । मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे मे 1920 का जो बिल था, उसका ड्राफ्टिंग उस मुस्लिम डेलीगेशन के हाथो मे दे दिया था, जो इस यूनिवर्सिटी को बनाने के सिलसिले मे मिलने के लिए गया था।

ग्रजीज पाशा के केस मे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का जिक्र किया जाता है। मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि उसके कुछ

दिनो के बाद कुछ और केसिज मे अदालतों ने "टु एस्टाब्लिश" का मतलब "टु फाउंड" माना है । लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि जब भी हम यह सवाल उठाते है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी कैरेक्टर कायम किया जाये, तो अजीज पाशा के केस मे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का है हौआ दिखा कर हमे डराया जाता है कि हम ऐसा नही कर सकते है । सेंट जेवियर सोसायटी एंड वन अदर वर्सेस स्टेट आफ गुजरात और स्टेट आफ केरला वर्सेस मदर प्राविंशल, इन दोनो केसिज मे "टु एस्टाब्लिश" का मतलब "टु फाउंड" लिया गया है । अगर गवर्नमेंट सिर्फ एक वर्ड की बिना पर ही हमे माइनारिटी कैरेक्टर का राइट देने से इन्कार कर रही है, तो मै अर्ज करना चाहता हू कि दूसरे केसिज मे "टु एस्टाब्लिश" के मानी "टु फाउंड" भी माने गये है । तो फिर इस बात को अलीगढ यूनिवर्सिटी के मामले मे भी लागू न करने की क्या वजह है ?

यह कहा गया है कि अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया गया , तो पार्लियामेट को उसके मामलो मे किसी भी किस्म का कोई हक नही रहेगा । मैं समझता हू कि यह बात सही नही है । मैने अभी जो केस साइट किया है—सेंट जेवियर सोसायटी एंड वन अदर वर्सेस स्टेट आफ गुजरात—उसमे ही कहा गया है कि "टु एडमिनिस्टर" का मतलब "टु मैल-एडमिनिस्टर दि यूनिवर्सिटी" हरगिज नही है । इसी केस मे कहा गया है कि हुकूमत और पार्लियामेट को यह हक हासिल है कि वे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्ज इमपोज कर सकते है । एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसी बात नही है, जो इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे कर एब्सोल्यूट बन जाती है । पार्लियामेट को यह हक हासिल है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इमपोज कर सके । कई बातो के बारे में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इमपोज की जा सकती है, जैसे कि एफिशसी आफ वर्किंग आफ दि इंस्टीयूशन स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन डिसिप्लिन हैल्थ, सैनिटेशन । इन बातो के बारे मे पार्लियामेट डायरेक्ट कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है ।

मै यह भी समझता हूं कि अगर आर्टिकल 30(1) के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया जाये, तो उसका हरगिज यह मतलब नही है कि वह एक ऐसी इस्टीट्यूशन हो जायेगी, जिस बारे मे दूसरी बाडी का हक नही रहेगा । उस वक्त भी हुकूमत और पार्लियामेट सुप्रिम रहेंगे । फर्क सिर्फ यह है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का हक मुसलमानो को मिल जायेगा । यह कोई अनरीजनेबल बात नही है । जब कांस्टीट्यूशन मे यह हक दिया गया है, तो उन्हे यह हक मिलना चाहिए कि वे यूनिवर्सिटी को एस्टाब्लिश करे और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके ।

अगर इस यूनिवर्सिटी को माइनारिटी कैरेक्टर देने का मतलब यह समझा जाता है कि उसमे सिर्फ मुसलमान ही स्टूडेंट्स, टीचर्ज और प्रोफेसर्ज हो सकते है, तो यह मतलब गलत है—यह मतलब न कभी था, न आज है और न कभी होना चाहिए । इस्टीट्यूशन का फंक्शनिंग हमेशा सेकुलर होना चाहिए, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं । जैसा कि मैने पहले कहा है, इस कालेज का पहला ग्रैजुएट हिन्दू था और पहला एम० ए० पास करने वाला हिन्दू था । आज भी नान-मुस्लिम् की वहा पर बड़ी तादाद है। बहुत सी अफवाहें फैला फैला कर लोगों

[श्री रशीद मसूद]

को डराया जाता है कि अगर इस युनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर दे दिया गया, तो हिन्दुओं को न दाखिले का हक होगा, न एडमिनिस्ट्रेशन मे आने का हक होगा और न प्राफेसर या लैक्चरर बननें का हक होगा। माइनारिटी कैरेक्टर देने का यह मतलब हरगिज नहीं है।

हम चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब हमारी बात मान ले कि यह युनिवर्सिटी मुसलमानों ने कायम की थी और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले मुसलमान ही हैं। इस के दरवाजे तमाम मजाहिब के लोगों के लिए खुले हुए हैं। सिर्फ यहां के लोग ही नहीं, 22, 33 गैर ममालिक के लोग वहां पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब हमारी दरख्वास्त पर गौर फरमायेंगे।

شری رشید مسعود : آج یہ خوشی کا موقعہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بل اس ہاؤس کے اندر ڈسکشن کے لئے لایا گیا ہے - گو اس کو بہت پہلے آ جانا چاہئے تھا - لیکن میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے نہیں آ پایا - لیکن دیر آید درست آید - یہ کہے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں - پچھلی اور آج کی بار جو تقریریں یہاں پر ہوئیں ادھر سے اور ادھر سے بھی ان کو میں نے بہت غور سے سنا تھا - مجھے افسوس ہے کہ ادھر کے بھائیوں نے اس وقت اس طرح کی تقریریں نہیں کیں - جب مسلمانوں کے جذبات کا خون کیا جا رہا تھا - اس وقت ان لوگوں نے نہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کا خیال کیا اور نہ یونیورسٹی کے جذبات کا خیال کیا اور اس بات کا خیال کیا کہ وہاں یہاں مائنورٹیز کو بھی کچھ حق حاصل ہیں کہ وہ کسی (Institution) انسٹی ٹیوشن کو قائم رکھ سکتے ہیں - اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ آرٹیکل ۳۰ بھی کوئی کانسٹی ٹیوشن کا ہے - جو (exist) اگزیسٹ کرتا ہے - اس وقت تو ان کو بھی پتہ تھا کہ اس ملک میں صرف ایک ہی شخصیت ہے جو اس ملک کی مالک ہے - اور وہ جو حکم دے گی اس کا ان پر ہر طریقے سے عمل کرنا ہوگا - اس کے مطابق چلنا پڑے گا - ہر طریقہ سے اس کی وشز کو پورا کرنا ہوگا - میرے خیال میں ان کو یاد ہوگا کہ ۱۹۶۵ میں ایک بہت معمولی سا واقعہ ہوا اور واقعہ کیسے ہوا اس کی ڈیٹیل میں نا میں جاؤنگا اور نا ہی جانے کا یہ موقعہ ہے - لیکن اس واقعہ کو لیکر مسلم یونیورسٹی کا جو کیریکٹر تھا اس کو ختم کر دیا گیا تھا - اور اس چیز کو آج بھی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے - ۱۴ سال ہوگئے ہیں اور اس کو ہم بھگت رہے ہیں - مسلمانوں کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچ رہی ہے اس کے ذمے دار کون ہیں - پچھلی بار چندر صاحب نے کہا تھا - کہ ۱۹۳۵ میں اور ۱۹۷۲ میں جب کہ اس یونیورسٹی کا خون کیا گیا تھا - تب مسلمان

ایجوکیشن منسٹر تھے - ہمارے جو پریویس ڈکٹیٹر تھے ان کا تو رویہ ہی یہ رہا تھا کہ جس کمیونیٹی کا خون کرنا ہوتا تھا اس کے حقوق کو زرب پہچانی ہوتی تھی - اس کا گلا گھونٹنا ہوتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوسکتا تھا کہ اس کمیونٹی کے آدمی کو آگے کر کے اس کا خون کیا جائے - خیر جو ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے -

میں اپنی حکومت کا مشکور ہوں کہ وہ اس بل کو لائی ہے - جن باتوں کی ہماری ڈیمانڈ تھی ان میں سے بہت سی چیزوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے - آپ کورٹ کو لیں اس کے کمپوزیشن کو دیکھیں - اس کو انہوں نے آٹونامی دی ہے - اور وہ رول بنائے گی - جن پر (executive) ایگزیکیٹیو عمل کرے گی - لیکن کورٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹ پالیسی میکینگ باڈی ہے اور اس کے اندر ۱۶۲ آدمیوں میں سے ۱۰۵ آدمی یونیورسٹی کے رکھ دئے گئے ہیں اور صرف ۵۷ آدمی باہر کے ہیں - اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے جو لوگ ہیں ان ہی کی وشز کے مطابق چلا جائے گا - ان کے جو (interest) انٹریسٹ ہوتے ہیں ان ہی کو پورا کیا جائے گا - ایسا نہیں ہونا چاہئے جو پالیسی میکنگ باڈی ہو وہ ایسی ہونی چاہئے کہ پوری کمیونٹی کو اس میں ریپریزنٹیشن ملے - تاکہ یونیورسٹی کی جو پالیسی بنے وہ تمام کمیونٹی کے جذبات کے مطابق بنے تاکہ ان کے مفاد کے لئے جو کہ یونیورسٹی میں پہلے ہی موجود ہیں اور جن کے انٹریسٹس (involved) انوولوڈ ہیں -

ایگزیکٹیو میں بھی ریپریزینٹیشن کی بات کو آپ دیکھیں - اس میں بھی ریپریزینٹیشن اتنا نہیں دیا گیا ہے جتنا دینا چاہئے تھا - (Statute) اسٹیچو ۲۶ کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں - اس کے اندر فائنینس کمیٹی کا (creation) کریشن کیا گیا ہے - اس میں بھی دو ہی ایسے ممبر ہیں جو الیکٹڈ ہیں - ورنہ باقی ایکس آفیشیو یا نامینیٹڈ ممبر ہیں - اس میں بھی ترمیم ہونی چاہئے -

بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے - مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آتا ہے جس کو پڑھے بغیر میں اس وقت نہیں رہ سکتا ہوں -

قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند
دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا

تمام خوبیوں کے باوجود یہ بل ایسا ہے - ایک ایسی دوشیزہ کے مانند ہے دلہن کے مانند ہے جو نہایت

[شری رشید مسعود]

خوبصورت تو ہے - بہت حسین اور اٹریکٹیو (attractive) تو ہے لیکن جس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہوں - یہاں میرا مطلب ہے کہ ان سب کے باوجود کہ اتنا کچھ دیا ہے وہ چیز نہیں دی گئی ہے جس کی ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی - جس کو ہم مانگتے تھے - یعنی مائنورٹیز کیریکٹر انڈر آرٹیکل ۳۰ (۱) -

کل ہمارے منسٹر صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس میں تین چار چیزیں بتلائی ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے اس کو مائنورٹیز کیریکٹر نہیں دیا - نمبر ۱ چھاگلہ جی کمیٹی کی رپورٹ - نمبر دو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور نمبر تین ایڈمنسٹریشن کے اندر پارلیمنٹ کا دخل نا ہونا - یہ تین باتیں میں ہیں - پھر بعد میں ایک اور کے بارے میں کہونگا -

چھاگلہ جی کمیٹی کی رپورٹ جو ۱۹۶۰ میں یونیورسٹی ایگزیکٹو نے بنائی تھی اس کو کوٹ کیا ہے - اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یونیورسٹی کا کیریکٹر ہمیشہ سیکولر رہا ہے - اس میں کوئی شک نہیں ہے - میں اس کا ڈاوٹ نہیں کرتا ہوں - میں کہتا ہوں کہ کوئی انسٹی ٹیوشن ہو اس کا فنکشننگ سیکولر رہنا چاہئے اور یونیورسٹی کا وہ فنکشن سیکولر رہا ہے - اس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی بھی تھی - اس کا پہلا سٹوڈینٹ بی - اے - کی جس نے ڈگری حاصل کی وہ نان مسلم تھا - اور ایم - اے - کی پہلی ڈگری حاصل کرنے والا بھی نان مسلم تھا - اس کے پروفیسرز بھی بہت سے نان مسلم ہیں - آج بھی اس کے اندر بڑی تعداد ٹیچرز میں نان مسلمز کی ہے اور (Students) سٹوڈینٹس بھی بہت بڑی تعداد میں نان مسلم ہیں - لیکن اس چھاگلہ جی کمیٹی کی رپورٹ میں ۱۸۷۲ کی رپورٹ کا بھی ذکر آیا ہے جس میں کہ ماہمڈن اینگلو اورینٹل فنڈ کمیٹی کا ذکر ہے - میں اسے پڑھ کر سناتا ہوں -

I think what we mean to found is not a college but a University.

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کالج ہم نے بنایا - جب اس ملک کے مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر اس کالج کی بنیاد رکھنے کی بات سوچی تو ان کے ذہن میں کالج نہیں تھا - بلکہ یونیورسٹی تھی - تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ ہم جس چیز کی بنیاد لے کر چلتے ہیں وہاں سے یونیورسٹی کی لے کر چلے ہیں نا کہ کالج کی -

دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عزیز باشا صاحب نے ۱۹۶۵ کا کیس کیا تھا -

که سپریم کورٹ نے اس بات سے اتفاق
کیا ہے که میں نہیں سمجھتا که
انسٹی ٹیوشن کا مطلب یونیورسٹی
بھی ہے - تو مائنورٹیز یونیورسٹی اگر
قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے
کرینگے - اگر یہ بات مانی جائے گی
که ایکٹ کے ذریعے کریں تو وہی بات
ہوگی که یونیورسٹی تو مائنورٹیز کی
نہیں ہے - ہمیں بتلائیے که اس آرٹیکل
۳۰ کا کوئی مقصد رہ گیا ہے - میں
سمجھتا ہوں که اس کا کوئی مقصد
نہیں ہے - اس سے بہتر ہے که
کانسٹی ٹیوشن میں امینڈمینٹ کرکے
آپ اس آرٹیکل کو نکال دیں اگر
آرٹیکل اس میں رہ گیا ہے تو اس کا
پورا حق ہمیں دینا چاہئے - اس کے
استعمال کا حق مسلم کمیونیٹی کو
اور دوسری مائنورٹیز کو اور لنگوسٹک
مائنورٹیز کو ملنا چاہئیے -

یہ بھی آرگومینٹ دی گئی ہے
که ۱۹۲۱ میں تو پرائیویٹ یونیورسٹی
ہو سکتی تھی - اس سے یہ کیوں
نہیں کیا - اس کو مسلم یونیورسٹی
بنا لیا ہوتا - اور گورنمنٹ کے ایکٹ
کے ذریعے - اس کو وجود میں نہیں
لائے ہوتے - جیسا آپ جانتے ہیں -
شروع سے ہی جب سے کالج کی بنیاد
پڑی - اینگلو انڈین کے وقت سے ہی
یہ مقصد تھا که مسلمانوں کی معاشی
حالت جو خراب ہے جو مسلمان
انگریزی نہیں پڑھتے جس کا تعلق

۱۹۶۵ کے کیس میں اسٹیبلش کے
ایک خاص معنی دئے گئے - تو برنگ
انٹو ایگزسٹینس جب که انہوں نے
لکھا ہے که ایسٹیبلش کے معنی دو ہیں -
تو فاونڈ اینڈ تو برنگ ان ایگزسٹینس
دونوں کو انہوں نے اس سے متفق مانا
ہے که یہ دونوں معنی ہیں - لیکن
میں نہیں جانتا که کن وجوہات کی
بنا پر انہوں نے اس ایسٹیبلش کے
بہت محدود سے معنی تو برنگ
انٹو ایگزسٹینس لے لئے ہیں -

جیسا آپ جانتے ہیں اگر آج کوئی
بھی یونیورسٹی بنائی جائے تو یقیناً
وہ گورنمنٹ کے ایکٹ کے مطابق ہی
وجود میں آئیگی - نہیں تو نہیں
آئیگی - اگر اس بات کو مان لیا
جائے که جیسے سیکشن ۲۱-۲۳ یو -
جی - سی - ایکٹ میں ہے - تو کوئی
یونیورسٹی گورنمنٹ کے ایکٹ کے بغیر
وجود میں نہیں آسکتی ہے - تو میں
یہ جاننا چاہتا ہوں که کیا آرٹیکل
۳۰ کے اندر جو تو ایسٹیبلش اینڈ
ایڈمنسٹر انسٹی ٹیوشن آف ویدو آن
چوائس دیا گیا ہے لنگوسٹک اور
ریلیجس مائنورٹیز کو حق دیا گیا
کالج بنانے کا تو اس کے جواب میں
یہ کہا گیا که عزیز پاشا کے کیس میں

[شری رشید مسعود]

ڈائریکٹ روزی روٹی سے ہے ان کو یہاں پڑھایا جائے جو اپنی روزی روٹی کما سکیں - مسلمانوں کو بھی گورنمنٹ میں سروس مل سکے - ۱۹۲۰ میں بھی یہی بات آئی - یونیورسٹی قائم کر سکتے تھے - لیکن یونیورسٹی اگر قائم کرتے تو کیا گورنمنٹ کے ملازمان میں جگہ ہوتی - میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہوتی - صرف اسی وجہ سے کہ ہم کو گورنمنٹ میں ملازمتیں مل سکیں ہم نے اس یونیورسٹی کو ایک ایکٹ کے ماتحت بنایا - حالانکہ ہم یونیورسٹی کو قائم رکھنے کی طاقت رکھتے تھے -

آپ کو ہندوستان میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ملے گی جس کا ڈرافٹ بل پرائیویٹ لوگوں نے تیار کیا ہو - مسلم یونیورسٹی کے بارے میں ۱۹۲۰ کا جو بل تھا اس کا ڈرافٹنگ اس مسلم ڈیلیگیشن کے ہاتھوں میں دے دیا تھا جو اس یونیورسٹی کو بنانے کے سلسلے میں ملنے کے لئے گیا تھا -

عزیز پاشا کے کیس میں سپریم کورٹ کے رولنگ کا ذکر کیا جاتا ہے - میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد کچھ اور کیسز میں عدالتوں نے تو ایسٹیبلش کا مطلب تو فاونڈ مانا ہے - لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ہم سوال اٹھائے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کیریکٹر قائم کیا جائے تو عزیز پاشا کے کیس میں سپریم کورٹ کے ججمینٹ کا حوالہ دکھا کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے - کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں - سینٹ زیویرز سوسائٹی اینڈ ادرز ورسس سٹیٹ آف گجرات اور سٹیٹ آف کیرالہ ورسس مدر پراونسل کیرالہ ان دونوں کیسز میں تو ایسٹیبلش کا مطلب تو فاونڈ لیا گیا ہے - اگر گورنمنٹ صرف ایک ورڈ کی بنا پر ہے ایک ورڈ کی بنا پر ہی ہمیں مائنورٹیز کیریکٹر کا رائیٹ دینے سے انکار کر رہی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے کیسز میں تو ایسٹیبلش کے معنی تو فاونڈ ہی مانے گئے ہیں - تو اس بات کو علی گڑھ یونیورسٹی کے معاملے میں بھی لاگو نا کرنے کی کیا وجہ ہے -

یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کو مائنورٹیز کیریکٹر دے دیا گیا تو پارلیمنٹ کو اس کے معاملوں میں کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں رہے گا - میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے - میں نے ابھی جو کیس ثابت کیا ہے سینٹ زیویرز سوسائٹی اینڈ ادرز ورسس سٹیٹ آف گجرات اس میں یہ ہی کہا گیا ہے کہ تو ایڈ منسٹر کا مطلب تو مال ایڈ منسٹر دو. یونیورسٹی ہرگز

ہے تو انہیں یہ حق ملنا چاہئے - کہ وہ یونیورسٹی کو ایسٹیبلش کریں - اور اس کے ایڈمنسٹریشن کو چلا سکیں -

اگر اس یونیورسٹی کو مائنورٹیز کیریکٹر دینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں صرف مسلمان ہی سٹوڈینٹس اور ٹیچرز اور پروفیسرز ہو سکتے ہیں تو یہ مطلب غلط ہے - یہ مطلب نا کبھی تھا اور نا آج ہے اور نہ کبھی ہونا چاہئے -(Institution) انسٹی ٹیوشن کا فنکشنز ہمیشہ سیکولر ہونا چاہئے - میں اس بات سے متفق ہوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے اس کالج کا پہلا گریجویٹ ہندو تھا اور پہلا ایم - اے - پاس، کرنے والا ہندو تھا - آج بھی نان مسلمز کی وہاں پر بڑی تعداد ہے - بہت سی افواہیں پھیلا پھیلا کر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کو مائنورٹیز کیریکٹر دے دیا گیا تو ہندوؤں کو نہ داخلے کا حق ہوگا اور نہ ایڈمنسٹریشن میں آنے کا حق ہوگا اور نہ پروفیسر یا ٹیچر بننے کا حق ہوگا - مائنورٹیز کیریکٹر دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے -

ہم چاہتے ہیں کہ منسٹر صاحب ہماری بات مان لیں کہ یہ یونیورسٹی مسلمانوں نے قائم کی تھی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کا حق نہیں ہے - اسی کیس میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کچھ ریزنیبل رجسٹریشن امپوز کر سکتے ہیں - ایڈمنسٹریشن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس یونیورسٹی کو مائنورٹیز کیریکٹر دے کر ایبسولیوٹ بن جاتی ہے - پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریزنیبل (restriction) ریسٹریکشن امپوز کر سکے - کئی باتوں کے بارے میں ریزنیبل(restriction)ریسٹریکشن امپوز کی جاسکتی ہے جسے(efficiency) ایفیشنسی آف ورکنگ آف دی انسٹی ٹیوشن- سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ڈسپلن - ہیلتھ سینیٹیشن - اور باتوں کے بارے میں پارلیمنٹ ڈائریکٹ کر سکتی ہے - اور کنٹرول کر سکتی ہے - میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آرٹیکل ۳۰(۱) کے مطابق اس یونیورسٹی کو مائنورٹیز کیریکٹر دے دیا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی انسٹی ٹیوشن ہو جائیگی جس کے بارے میں کسی دوسری باڈی کا حق نہیں رہے گا - اس وقت بھی حکومت اور پارلیمنٹ سپریم رہیں گے - فرق صرف یہ ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کا حق مسلمانوں کو مل جائیگا - یہ کوئی ان ریزنیبل بات نہیں ہے - جب کانسٹی ٹیوشن میں یہ حق دیا گیا

[شری رشید مسعود]

مسلمانوں کو ہے - اس کے دروازے تمام مذہب کے لوگوں کے لئے کھلے ہوئے ہیں - صرف یہاں کے لوگ ہی نہیں ۲۲-۲۳ غیر ممالک کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں - مجھے امید ہے کہ منسٹر صاحب ہماری درخواست پر غور فرمائیں گے -

SHRI NARENDRA P. NATHWANI (Junagadh): Mr. Chairman, the main controversy seems to centre round the point whether this institution, the Aligarh Muslim University, should be recognised as a minority institution under article 30 of the Constitution. Government have relied, and relied very strongly, on the Supreme Court decision on this point. The point arose strictly and expressly before the Supreme Court. When Parliament passed the Act of 1965, it made radical changes regarding the management of the University. The petitioners challenged the validity of those provisions, contending that the Aligarh University was a minority institution within the meaning of article 30 of the Constitution and, as such, it had the right to manage exclusively its affairs. So, the question arose before the Supreme Court whether the Aligarh University was a minority institution. Article 30 says that a minority community shall have the right to establish and administer its educational institutions.. So, the question arose whether the Aligarh University was established by the Muslim community in India or not, and the Supreme Court took the view that the University was established by an Act of 1920, the Aligarh University was a statutory body, a corporate body, which came into existence as a result of the Statute passed in 1920 and, therefore, it could not be said to have been founded or established by the Muslim community. That was one test which was applied.

Another test that was applied was whether in order to qualify itself as a University it had the right to confer degrees or not. The Supreme Court relied on section 6 of the Act of 1920 to show that but for this provision the University would not have the right to grant degrees and, therefore, one of the essential characteristics of a University was missing before its incorporation. So, the Act made such a provision.

This is the position, and the Government has relied on that decision. The Government is right in stating that when the Supreme Court decides a matter, unless and until you change the Constitution, you cannot make a provision for vesting the management absolutely in the Muslim community, or treating it as a minority institution under article 30.

I am aware that the Minority Commission in its report has submitted that while deciding this point the Supreme Court has interpreted the word "established" in a particular manner but subsequently the Supreme Court has departed from this interpretation of the word "established". It has relied on more than one such decision to show that subsequently the Supreme Court has deviated from the meaning attached to the word "establish" in article 30. The Minority Commission refers to the Supreme Court decision in S. Azeez Basha *vs.* Union of India, reported in AIR 68, Supreme Court, page 662. And then it proceeds to add that in a later case the Supreme Court has interpreted the expression "to bring into existence" to mean "to found" and cited the case of Kerala Vs. Mother Provincial reported in AIR 1970, S.C. 2079. The Supreme Court in that case observed:

"Established here means to bring into being of an institution and it must be by a minority community. It matters not if a single individual by his own means founds the institution or the community at

large contributes the funds. The position in law is the same and the intention in either case must be to found an institution for the benefit of the minority community by a member of that community."

The Minorities Commission adds:

"It may be noticed that the judgment in this case was of a bench of six judges whereas the judgment in Azeez Basha's case was by a bench of five judges. It is now well settled that the judgment of a larger bench which is also later in point of time prevails over an earlier judgment by a small bench."

In this case the Supreme Court treated the two expressions "to bring into existence" and "to found" as synonymous Therefore, this case is relied upon to say that the Aligarh University, having been founded by the Muslim community in India, must be treated as established by them But, with due respect to the Minorities Commission, I wish to say this case has no application. I have got the case before me The Supreme Court has not at all referred to the earlier decision of 1968. In the Kerala case, the Supreme Court was concerned only with the question whether the private institutions—colleges—were founded by one or more members of the minority community. It deals with a separate point altogether. It does not deal with the question whether a body like a university could be treated as having been founded by a minority community. An institution can be founded by a body corporate and that body corporate may be a statutory corporation like the Aligarh University or it may be another legal entity, a company under the Indian Companies Act. Suppose an association is formed and incorporated, that may be a separate legal entity. Therefore, if such a body establishes a college or an institution, the latter could not be said to have been established by the members of the minority community. If you read carefully the later decision of 1970, you will find this proposition well laid down. There were 36 petitioners—33 institutions—belonging to separate categories or denominations of Christians, one run by a company —I forget its name, Sankaracharya's name is associated with it—another was Nayar Society. You will, therefore, see that of the 36 petitioners, there were some separate legal entities, who conducted colleges; they could not be said to be members of any community. In that case, the Supreme Court laid down that article 33 did not apply to these institutions which were founded or established by a company or a society. In the eyes of the law, they were separate entities.

If you say that the law has bee changed by the Supreme Court, why do you bother about it? You can straightaway approach the Supreme Court and get now its objectionable part struck down. It is not as if you have got no remedy.

There is another remedy also open to those who say that the law has been changed. You are not at the mercy of the Government or Parliament at all. You can get that decision reviewed if you like. Even if the law has not been changed, if you think that the Supreme Court decision of 1968 requires reconsideration because of certain important aspects having been lost sight of, you can place your point of view before the Supreme Court. If you feel that the law has been subsequently changed, —the chemical word "establish" has been differently interpreted by the Supreme Court,—then also you can approach the Supreme Court.

In this connection, I would urge upon the hon. Minister to tell us whether, in view of the stand taken

[Shri Narendra P. Nathwani]

by the Minorities Commission, Government thought it fit to consult the Attorney General, whether their contention was placed before him, and if so, what was the view expressed by him.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Mr. Chairman, Sir, I am in support of this Bill since it aims at restoring the minority character of the University. I do feel that it needs improvement and the points which have been just now mentioned by my hon. friend who preceded me call for sending the Bill to a Select Committee.

My main point in supporting the Bill is that the basic structure of our State, of our society, is secular and democratic with sufficient protection for religious and linguistic minorities. It also provides for safeguards for the weaker sections of the society, like, the backward communities and the Scheduled Castes. No Government, whatever be the composition of that Government, should ever try to tamper with this basic structure of our society.

The framers of our Constitution, taking into account the composition of the people of this country framed all these provisions in order that the people may live in peace. Unfortunately, by the previous amendment of the Bill, the minority character of the University was changed. Then, there was the Supreme Court judgment about which he spoke and all those things are there. He quoted the example of an institution in Kerala associated with the name of Shankaracharya and all that. I do not want to go into all those things. Neither the institution not the Shankaracharya belongs to the minority community. I do not want to go into the legal aspect of it nor I am competent to do that. I am not doing that. Here, the main question is: Can we by our legislation give this assurance that this is a minority institution of the Muslims? I do not want to go into the history of it.

In article 30(1) of our Constitution, it has been very clearly and categorically stated—I quote:

> "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

So, this is what I have suggested in my amendment, that is, while defining the University, you substitute:

> "The 'University' means educational institution of their choice established by the Muslims of India which was incorporated and designated as Aligarh Muslim University in 1920 by this Act."

If this amendment is accepted and, I think, the hon. Minister will have no hesitation to do it..

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): I have hesitation.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: *Samsayatma Vinasayati*. He should not have any hesitation.

Whatever be the legal subtleties, we are in a situation when the very secular nature or character of our State is challenged by a strong section of our people and it is the responsibility of the Government to come forward to state clearly and categorically that they respect the provisions made in the Constitution as far as the religious minorities are concerned in the matter of running their educational institutions. This is what is expected of this Bill. So also, in the present set-up, in all the university bodies, representation for the teaching staff and non-teaching staff and also representation for the students should be granted. A

provision for that also should be made in this Bill. That way this Bill has to be improved, so that the staff working in the colleges, the students and the minority communities, all of them, may feel satisfied.

I do not want to say much. But I would only remind that the situation prevailing in our country today is one which is creating a feeling of insecurity in the minds of the minority communities the religious minorities, whether they be the Muslims or the Christians or the Buddhists. This factor should not be ignored.

One hon. Member—it may be a Private Member's Bill—has moved a Bill—Freedom of Religion Bill. Whethere it is Freedom of Religion Bill or whether it is a Bill intended to curb the freedom of the religion is a matter .

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich): Have you read that Bill?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: You are the Member who has moved that Bill. We will try and discuss this question when your Bill comes up..

SHRI OM PRAKASH TYAGI It is asking for equal status for all.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: That is according to you. But according to me and according to the entire Christian community in this country, that Bill is meant to curtail their activities and terrorise them. All over the country the Christians are protesting against your Bill. They should have ignored your Bill, but your Bill got importance when directly or indirectly the Prime Minister tried to bless that Bill in one way or the other. That is how your Bill has got the publicity. That is why the Christian community all over the country are disturbed about it and they have held demonstrations.

Now, the Muslims have no safety. You know what happened in Aligarh and what is happening even today in Jamshedpur. If this is the way you are running the Government where they have no sense of security either for their life or for their property and where they feel that even their religious activities cannot be carried on, how can you maintain the secular character of the State? That is the point on which we have to think. Do not think that the framers of our Constitution were ignorant about the situation in our country. You call Mahatma Gandhi as the Father of the Nation, but you slight him, you ignore him, you ignore his warning. Even at the time of, or, after the partition, when there was a very strong feeling all over the country that, as against Pakistan, an Islamic State, we in India have a Hindu State, it was Mahatma Gandhi who stood up, who rose to the occasion, and warned this country that "India is not a land of the Hindus alone, it is a land of the Christians, a land of the Muslims, also". You should be proud that, even after the call of Pakistan, majority of the Muslims decided to reside here in India, they wanted to be the citizens of India, not of Pakistan. Therefore, you should respect their sentiments, you should try to treat them as equals. But, on the other hand, what is the situation in this country today? Therefore, the context in which you are doing is also important. I am not questioning your subjective thinking. But in the present context if you are alienating all the minority communities, what does it mean?.

Therefore...

SHRI SHAMBHU NATH CHATURVEDI (Agra): What is your definition of secularism? Is it identical with separatism?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Secularism is something which gives complete protection to religious minorities and linguistic minorities...

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Equal status for all.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: When your Bill comes, we will have time to discuss it. Now, the Chairman does not want me to continue.

MR. CHAIRMAN: Your time is over.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: What I am pointing out is that the Government has an opportunity now to offer and to assure the religious minorities, especially the Muslims that you are there to protect their interests and this Aligarh University which is their prestigious institution will be restored as a minority institution of the Muslims.

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद): आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है। माननीय सदस्यों ने अपने तरीके से इस पर राय दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला काफी दिनों से देश के अन्दर अल्पसंख्यकों के मन को कुरेदता रहा है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज के विरोध पक्ष के लोग आज जितनी हमदर्दी दिखा रहे हैं उतनी उन्होंने अगर शुरू से ही दिखाई होती तो शायद यह स्थिति पैदा ही न होती। 1920 के एक्ट के तहत यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 1951 में इस में कुछ तरमोमें की गई। 1964 तक कभी कोई बात उठाई नहीं गई। इस विश्वविद्यालय के बेसिक कारेक्टर में कोई तरमीम नहीं हुई। लेकिन 1965 में संशोधन पेश किया गया जिस के जरिये कोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है नीति सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी मामलों में उस प्रभावशाली और शक्तिशाली संस्था को शक्तिहीन बना दिया गया। राष्ट्रपति जो विजिटर होता है उसको अधिकार दे दिया गया कि वह वाइस चांसलर नियुक्त कर सकते हैं। स्टेचूट्स बनाने का जो अधिकार था वह भी ले लिया गया। उसके बाद 1972 का जो संशोधन था वह तो कमाल का संशोधन था। इन दो संशोधनों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के मन में यह शंका पैदा की कि अगर इस प्रकार से सरकारी हस्तक्षेप इस विश्वविद्यालय के मामले में चलेगा तो यह केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मामला नहीं रह जाएगा बल्कि देश के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके भी अंदरूनी मामलों में सरकार हस्तक्षेप करने लग जाएगी और शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए स्वस्थ वातावरण दूषित हो जाएगा, उसके हित में यह चीज नहीं होगी। मैं यह मान कर चलता हूं कि लोकसभा देश की सर्वोच्च प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्था है और तालीम के मामले देश की आवश्यकताओं के अनुसार हम को उसको ढालना पड़ेगा। नए ज्ञान, नए हुनर, विज्ञान और टैक्नालाजी के दौर में अगर हम पिछड़ गए तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शिक्षा जो आदमी आदमी में अलगाव पैदा करे, नफरत पैदा करे, देश में पृथकता की भावना पैदा करे, उसको बढ़ावा दे, उस प्रकार की शिक्षा की आज देश और समाज को कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा की जरूरत है जो देश आज आधुनिक ज्ञान, नई खोज, नये विज्ञान, नई तकनीक के लिये आवश्यक है, साथ ही साथ नये समाज, नई संस्कृति, नई तहजीब के निर्माण के लिये जरूरी है। ऐसी शिक्षा हमें चाहिये जो आदमी के बीच में मोहब्बत पैदा करे और पूरे देश समाज और जो अल्पसंख्यक

है, गरीब और कमजोर है, उनको अपने साथ लेकर चले । उनको विशेष अवसर देकर समाज की तरक्की मे और हर क्षेत्र मे उनको विशेष मौका मिले शिक्षा का उद्देश्य यह है ।

जनता पार्टी ने अपने चुनाव वायदे मे यह एलान किया था कि हम 1965 और 1972 । सशाधना द्वारा अलीगढ मस्लिम युनिर्वासिटी की आजादी और उसके किरदार का जो आ (त या चोट पहुचाई गई हे, उसको हम वापिस करेगे । माइनौरिटी कमीशन का भी निर्माण हुआ उसने भी अपनी सस्तुति दी हे और वर्तमान विधेयक पेश किया गया है । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मत्री ने सदन को आश्वासन दिया । कि माइनौरिटी कमीशन की जो रिकमैंडेशन्स है और भी बहुत सी जो रिकमैंडेशन्ज हे, कोर्टस एग्जीक्यूटिव काउसिल के बारे मे, जो विश्वविद्यालय के डैमोक्रेटिक करैक्टर को बनाती है और उसकी अटोनामी को बरकार रखती है या और बढाती है, वह सारे सशोधन स्वीकार किये जायेगे और वह उ घोषणा करेगे । मै उनकी इस मशा और घोषणा । स्वा ० करता हू । अलीगढ विश्वविद्यालय के बारे मे यह सही है कि यह केवल विश्वविद्यालय का ही मामला ही है, देश के अल्पसख्यकों की भावनाओ का भी मामला है और सर सैयद साहब ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी तो यह बात साफ हो गई थी कि इसका मतलब यह था कि अपने देश के जो पिछडे मुसलमान हैं, उनको नई तालीम दी जाये । इसके बारे मे 1961 की रिपोर्ट मे साफ तौर पर लिखा गया है—

"भारत की तत्कालीन स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद वह महान् व्यक्ति स्वर्गीय सर सैयद अहमद खा इस निष्कर्ष पर पहुचे कि मुस्लिम समुदाय के पिछडेपन का कारण उनके लिए आधुनिक शिक्षा का अभाव है । भारत के स्वतत्रता सग्राम के बाद, जिसमे मुसलानो ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन्हे निराशा मिली, वे असगठित हो गए । वे पश्चिमी शिक्षा तथा पश्चिम सभी बातो के सख्त खिलाफ थे । सर सैयद ने यह महसूस किया कि उनका यह दृष्टिकोण उनके हित मे ही था । इसलिए उन्होने चाहा कि वे लोग पश्चिमी पद्धति पर आधारित उदार शिक्षा का लाभ उठाए अन्यथा उसके अभाव मे वे अपनी जन्मभूमि, अपने देश की प्रगति मे पूर्ण सहयोग नही दे पायेगे ।"

यह मकसद था और इसमे काफी कामयाबी भी मिली । यह विश्वविद्यालय आल इडिया करेक्टर का हे, अखिल भारतीय महत्व का है । मे इस सम्बन्ध मे मोहम्मद शफी जिन्होने 1920 का बिल रखा था, उन्होंने अपने भाषण मे कहा था, उसे क्वोट करता हू—

"Recognising the all India character of the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University, the rules, framed under the Government of India Act, have now proposed that these two universities should be a Central Subject and the responsibility, in connection therewith, henceforwar rests on the shoulders of the Government of India"

इससे यह साबित होता है कि इस विश्व विद्यालय का कितना म[illegible]व था । बाद मे

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]
इसके संस्थापकों ने यह भी कहा कि यह विश्वविद्यालय केवल भारत के मुसलमानों के लिए नही है, बल्कि यह दुनिया मे ज्ञान का एक महान् केन्द्र बनेगा और दूसरे देशों के भी विद्यार्थी आ कर यहां पर विद्याध्ययन करेगे ।

इस विश्वविद्यालय मे दाखले के मामले मे 1920 के एक्ट मे साफ तौर पर लिखा था कि हर एक विद्यार्थी को, जो भी विद्याध्ययन करना चाहेगा, चाहे वह किसी भी मजहब, जाति या रंग का हो, विश्वविद्यालय से दाखला दिया जायेगा और उसे इन्कार नही किया जायेगा । हां, 1920 के एक्ट मे यह प्रावधान जरूर था कि कोर्ट के मेम्बर गैर-मुस्लिम नही हो सकते है । लेकिन 1951 के संशोधन मे इस बात को भी खत्म कर दिया गया और इसके लिए वह आवश्यक शर्त नही रखी गई ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरू ही से 1964 तक इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप था, उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोर्ट और एक्सक्यूटिव कौंसिल के अधिकारों को बरकरार रखा गया और उन की शक्ति को बढ़ाया गया । उसके स्वरूप को बिल्कुल सैकुलर रखा गया है ।

यह सही है कि मुसलमानों ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना मे अपना योगदान दिया । और यह भी सच है कि जहां उस विश्वविद्यालय का मकसद ज्ञान-वर्द्धन, शिक्षा देना, नई तालीम देना था, वहां उसका सब से महत्वपूर्ण मकसद यह था कि मुसलमान युवकों को, जो पिछड़े हुए थे, तालीम दी जाये ।

मुझे प्रसन्नता है इस विधेयक मे यूनिवर्सिटी की जो परिभाषा की गई है, उसमें इस बात को तस्लीम किया गया है कि यह यूनिवर्सिटी मुसलमानों के द्वारा स्थापित की गई है— "एस्टाब्लिश्ड बाई दि मुस्लिम्ज आफ़ इंडिया।" केवल एक बहस है कि इसको माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाये या नहीं । सरकार मूल रूप में यह स्वीकार करती है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना मुसलमानों ने की है, यह अल्प-संख्यकों की भावनाओं का केन्द्र बना हुआ है । केवल एक बात सरकार की तरफ से उठाई गई है कि अगर संविधान के आर्टिकल 30(1) के तहत इसे माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाता है, तो संसद् को वहां के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। माइनारिटीज कमीशन ने माना है कि संसद के इस अधिकार को रोका नही जा सकता है । मैं भी इस बात को मानता हूं । इस लिए इस बारे में कोई तालमेल होना चाहिए कि संसद् का अधिकार बना रहे और हम इस यूनिवर्सिटी को स्वायत्तता, आजादी और माइनारिटी कैरेक्टर दे दें । परन्तु अगर माइनारिटी कैरेक्टर का मतलब होता है मैल-एडमिनिस्ट्रेशन चन्द वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स का प्रभुत्व, अलीगढ़ विश्व विद्यालय के स्वरूप में परिवर्तन और इसके संस्थापकों के सपनों को चूर-चूर करना, तो हम इस माइनारिटी कैरेक्टर की आड़ मे इस विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं होने देंगे ।

चटर्जी समिति ने कहा है कि हालांकि यह अल्पसंख्यकों का संस्थान है, फिर भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उस मिश्रित संस्कृति के विकास में राष्ट्रीय योगदान के रूप में समझा जाना चाहिए, जिस पर देश के सभी लोगों को उचित गौरव हो सकता है । आज केवल 10 फ़ीसदी के करीब बाहर के मुसलमान छात्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयमें पढ़ते हैं । वहां की प्रोफेशनल एजूकेशन—मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में मुसलमान विद्यार्थियों की तादाद बहुत कम है । इस के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियों में आबादी

के बाद उनका अनुपात घटा है, चाहे प्रशासकीय सेवायें हों, सेना हो या पुलिस हो।

15.00 hrs

इस बात को खुसरो साहब ने भी लिखा है कि अलीगढ यूनिवर्सिटी के अन्दर से एक परसेंट, भी ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर नहीं आते थे मगर उन्होंने ट्रेनिंग की जो नयी स्कीम चलायी है उससे कुछ अनुपात पन्द्रह बीस परसेंट के करीब बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि अगर सचमुच अल्पसंख्यकों के मन में यह विश्वास पैदा करना है कि वे भी इस देश के निर्माण में हकदार है और उन का भी इस में हिस्सा है तो उन का अनुपात उनकी आबादी, योग्यता और क्षमता के आधार पर सही तरीके से सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, चाहे उस के जो भी कारण हों तो इसी प्रकार के विचार उन के मन में पैदा होंगे शंकाए पैदा होंगी और तम म लोग गलत तरीके से उस का इस्तेमाल करेंगे। यदि वे सारी शंकाए निर्मूल हो जायें और उन के मन में यह विश्वास पैदा हो जाय, साथ ही संसद के अधिकार और यह जो माइनारिटी कैरेक्टर, है इस के बीच से तालमेल की या बीच की कोई स्थिति निकल जाय तो मुझे कोई आपत्ति उसमे नहीं होगी कि इसे माइनारिटी कैरेक्टर दिया जाय मगर उसके साथ यह शर्त जरूर है कि संस्थापको जिन सपनों को लेकर या जिस स्वरूप को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वह बरकरार रहे।

श्री हलीमुद्दीन अहमद (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया है। बिल की मौजूदा शकल अगर्चे पूरे तौर पर मुसलमानों को इत्मीनान नहीं दिलाती, फिर भी बहुत हद तक वह काबिले कबूल है। सन् 20 के ऐक्ट के जरिए जो मराआत और हकूक मसलमानों को हासिल थे वह सारे के सारे सन् 65 और 72 के अमेंडमेंट से छीन लिए गए। यह श्रीमती इंदिरा गाधी के दौर मे किए गए थे जिन्होंने अपने दौरे इक्तिदार मे मुसलमानों की सादालोई से नाजायज फायदा उठा कर मुसलमानो का वोट हासिल करने के लिए बार बार गलत वायदे किए, उन के दिल को मजरूह किया और उन के जजबात को ठेस पहुंचाई।

सभापति महोदय : अहमद साहब, आप जरा आगे आ जाये तो लोगों को सुनने मे आसानी होगी। आप माइक के करीब आ जाये।

श्री हलीमुद्दीन अहमद : सन् 77 के एलेक्शन के मैनिफेस्टो मे जनता पार्टी ने भी अकलियत को जायज हकूक दिलाने का वादा किया था। मुझे खुशी है कि जनता सरकार ने मौजूदा अमेंडमेंट बिल के जरिए मुसलमानों के जख्म को भरने के लिए यह कदम आगे बढाने की कोशिश की है।

मै इस बिल की ताईद करने के लिए कुछ सिफारिशात सरकार के सामने रखना चाहता हू और उम्मीद करता हू कि सरकार ठंडे दिल से गौर करेगी और मुनासिब कदम उठा कर सरकारी अमेंडमेंट के जरिए मुसलमानो के बाकी मतालबात और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करेगी। इस देश मे लगभग 10 करोड मुसलमानों की आबादी है। मैं भी उन का एक फर्द हूं। आजादी के बाद से मुसलमानों की दिली ख्वाहिश रही है कि वह इस मुल्क की तामीर और तरक्की मे बराबर के साझीदार बने रहें। मुझे यकीन है कि मुसलमान इस काम के लिए अपने अन्दर माकूल सलाहियत काबलियत और कैरेक्टर रखते है। मगर अफसोस की बात है कि ये हमेशा नित नये मसायल में इसलिये उलझाए रखे जाते हैं कि इन्हें कुछ सोचने और

[श्री हलीमुद्दीन अहमद]

करने का मौका ही न मिले। ये अपनी सारी ताकत और लियाकत छोटे मोटे मसायल के उलझाव में जाया कर देने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह जिन्दगी के दौर में वह पीछे पड़ते जा रहे हैं। मैं जब इन मसायल पर गौर करता हूं तो पाता हूं कि देश में कुछ मफ़ादपरस्तों का गिरोह है जो आये दिन ऐसे वारदात खड़े कर उलझाव और तनाव पैदा करा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये मफ़ादपरस्त फ़िरकावाराना जहनियत रखने वाले लोग हमेशा हमारे साथ खेल खेला करते हैं और हमें एक फ़िरक़ावाराना फ़साद की ज़द में लाकर सारी सलाहियत ज़ाया करा देते हैं। हमें अपनी महाफ़ज़त और बचाव की तदबीर में सारा वक्त ज़ाया कर देना पड़ता है। कहीं ज़बान पर झगड़ा है तो कहीं मज़हबी रसूमात का। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सब सोचे समझे प्लान के तहत किया जा रहा है। हिन्दुस्तान के बटवारे का जिम्मेदार ठहराकर हमारे खिलाफ़ नफ़रत फ़ैलाई जाती है। बटवारा एक तारीकी हकीकत बन चुका है। जो लोग बटवारे के हामी थे वे तो चले गए लेकिन वे लोग जिन्होंने इस देश को मादरे वतन समझ कर गले लगा रखा, सारी तकलीफ़ों को बरदाश्त किया, देश की धरती से चिमटे रहे, उनका आज भारतीयकरण करने की कोशिश करना और उन पर शुबहा करना जख्म पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है? इस जहनियत की बिना पर मुल्क और कौम को नुकसाने अज़ीम पहुंच रहा है।

मेरा अकीदा है कि अक्सीरियत अगर थोड़ी रवादारी से काम लेती तो सारे फिरकेवाराना तनाव खत्म हो जाते और आजादी के 32 साल बाद मुस्लिम बजाए बोझ होने के इस मुल्क के लिए पूंजी साबित होते।

इन तमहीदी बातों के बाद मैं अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमेन्डमेन्ट बिल, 1979 की निस्बत अपने कुछ खयालात ज़ाहिर करना चाहता हूं और साथ ही कुछ सिफारिशात भी आपके जरिए सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, इसके पसे-मजर को देखना जरूरी है। यह तारीखी हकीकत है कि हिन्दुस्तान की हकमत को अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना था। अंग्रेजों की नजर में मुसलमान दुश्मन नं० 1 समझे जाते लगे थे। 1857 की जंगे आजादी ने आग में तेल डालने का काम किया। अंग्रेज फ़ातेह कौम के नाते मुसलमानों की तहज़ीबो तमद्दुन और तालीम को बरबाद करने पर तुले थे। अंग्रेज अंग्रेज़ी को सरकारी ज़बान बनाने की कोशिश करने लगे। हमारे मुल्लाओं ने अंग्रेज़ी तालीम की सख्त मुखालिफ़त की। हम आहिस्ता आहिस्ता जिन्दगी के हर शोबे में पीछे पड़ने लगे। यह वह वक्त था जब सर सैयद अहमद खां की ज़ाते गिरामी ने हालात की नज़ाकत को समझा और मुसलमानों के पिछड़ेपन और बदहाली को दूर करने की सोची, वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखा और 1875 में अलीगढ़ में मुसलमानों को जदीद तालीम से रोशनास कराने के लिए एक स्कूल कायम किया जो 8 जनवरी, 1877 में मोहमडन ऐंग्लो ओरिएंटल कालेज के नाम से मशहूर हुआ। एम ए ओ कालेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की अनथक कोशिशों के बाइस 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। इस यूनिवर्सिटी का मकसद खास कर मुसलमानों के तालीमी मयार को बुलन्द करना था। इसमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत से शोबे इस्लामिक स्टडीज के खोले गए जिनमें इस्लामी तालीमात दी जाने लगीं। इस यूनिवर्सिटी के जरिए मुस्लिम फ़िलासफ़ी, इस्लामिक हिस्ट्री, मुस्लिम ला और पश्चिम एशिया की ज़बान अरबी और फ़ारसी की तालीम का मुनासिब बन्दोबस्त किया गया। यूनिवर्सिटी की कलचरल ज़बान उर्दू बनाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डिग्री को कानूनी दर्जा दिलाने के लिए

सरकारी मंजूरी ज़रूरी थी इसलिए एम. ए. ओ. कालेज सोसाइटी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ने अपना सारा इसासा और नकद 25,000 रुपया सरकार के हवाले कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कानूनी मंजूरी ली जो 1920 का एक्ट कहा जाता है। अब अगर यह कहा जाए कि सरकारी एक्ट के जरिए ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम हुई तो यह जुल्म नहीं तो और क्या है ? क्या हम और आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि हिन्दुस्तान की आज़ादी हमारी जद्दो-जहद, कुर्बानियां और खून पसीना बहाने के सिले में हमें नहीं मिली बल्कि ब्रिटिश पार्लमेन्ट के ऐक्ट के ज़रिए मिली है ? मामूली समझ रखने वाला इनसान भी इसे कबूल नहीं कर सकता है। मुल्की कानून के तहत हर तालीमी दर्सगाह, ख्वाह वह प्राइमरी हो, सेकेन्ड्री हो या यूनिवर्सिटी दर्जे का हो—सरकारी मंजूरी के बगैर चलाया नहीं जा सकता है। मंजूरी देना सरकार का कानूनी फ़र्ज है और कायम करना एक फ़र्द की जिम्मेदारी है। किसी भी इमारत की बुनियाद रखने में एक एक ईंट जमा करने की जरूरत पड़ती है, फ़िर जोड़ना पड़ता है, खून पसीना एक करना होता है और तब जाकर मकान तैयार होता है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि इन सारी लवाज़मात को भूलकर रिकग्निशन का एक जुमला बुनियाद का हर्फ़-आखिर साबित हो जाए ?

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिटी करेक्टर बहाल करने के बारे में कहा जाता है कि सुपीरियर कोर्ट का फ़ैसला सरकार के लिए रुकावट है। 32 वर्ष की आजादी के दर्म्यान करीब 59 बार दस्तूर में अमेन्डमेन्ट हुए हैं। इमर्जेंसी के दौरान भी कानून बनाए गए और सारे कानूनों को पार्लमेन्ट के जरिए तरमीम किया गया है। कहा जाता है कि कौम और मुल्क के मफ़ाद में यह सारी तरमीमात की गई हैं। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनारिटी करैक्टर देना मुल्क और कौम के मफ़ाद में बेहतर नहीं होगा जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक आला कौमी तालीमी इदारा है जहां किसी भेदभाव के बगैर हर जात और फ़िरके के लड़के तालीम पाते हैं ? 1965—72 के अमेन्डमेन्ट्स ने इस यूनिवर्सिटी के माइनारिटी करैक्टर को जल्द पहुंचाई और बुनियादी हुकूक से मुसलमानों को महरूम कर दिया गया। जो मुसलमानों के लिए ज़हनी कुफ्त का बायस बना हुआ है। उस वक्त से आज तक पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर मुसलमानों की तरफ से माइनोरिटी करेक्टर बहाल कराने का एहतजाज जारी है। जब सन् 1920 के एक्ट के बहुत सारे मराआत वापस किये जा रहे हैं तो कौमी नुक्तेनज़र से माइनारिटी करक्टर की बहाली मेरे ख्याल से अजहद जरूरी है। माइनोरिटी कमीशन की सिफारिश और राज्य सभा से बिल की मंजूरी भी काबिले-गौर है।

हमारे दस्तूर के दफ़ा 29 और 30 में अकलियतों के लिये दिये गये मराआत के बारे में हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फ़ाज़िल जजों ने अपना अपना खयाल और राय फ़ैसला देते वक्त जाहिर किया है, जो काबिले गौर है। मि० मैथ्यू और चन्द्रचूड़ जजों ने अहमदाबाद सेंट जेवियर सोसाइटी के मुकदमे में राय देते हुए कहा है :

"Appliction or recognition without which the educational institution established by the minority for imparting secular education will not effectively serve the purpose for which they were established and cannot be made an instrument of suppression of the rights guaranteed."

AIR, 1974 S.C. page 1389.

में यह दर्ज है।

[श्री इलीयुद्दीन अहमद]

आगे यह भी कहा है

"The fundamental rights cannot be surrendered or bartered away."

इस मुकदमे के फैसले में श्री खन्ना, जज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि

"Liberal, generous and sympatetic approach is reflected in the Constitution in the matter of preservation of the right of minorities, so far their educational institutions are concerned."

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिट पर राय देते हुए यह कहा है ?

"There is no bar for the Parliament to make law for governance of Aligarh Muslim University as it thinks fit" (AIR 1968 S C page 662—para 34).

चैयरमैन साहब, आर्टीकल 30(1) के अन्दर यूनिवर्सिटी का कायम करना एक एबसोल्यूट राइट है लेकिन साथ ही दस्तूर में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यूनिवर्सिटी लेजिस्लेटिव एक्ट के जरिए ही कायम होनी चाहिए जैसा कि आज से पहले कल भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने "एस्टाबिलिश" का इन्टरप्रीटेशन नेरो सेंस में किया है और उस पर जो राय दी है वह मुस्लिम मफाद के खिलाफ होती है। औक्सफोर्ड डिक्शनरी देखने के बाद, "एस्टाबिलिश" का जो माइने पाते है, वे ये है

"to secure permanent acceptance for (custom, precedent, belief etc)

और "एडमिनिस्टर" के माइने जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिये गये है, वे ये है

"to apply (remedies to), contribute to (one's comfort etc.)

यह मैं इसलिए कह रहा हू कि "एस्टाबिलिश" का जो इन्टरप्रीटेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वह नेरो सेन्स में लिया गया है और उसको बहुत वाइड तरीके से लेना चाहिए। यह मै इसलिए कह रहा था क्योंकि आर्टिकल 30(1) के अन्दर यूनिवर्सिटी का कायम करना एक फन्डामेन्टल राइट है लेकिन साथ ही दस्तूर में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में अगर कोई लेकना रह गया है, तो उससे अकलियतो के फन्डामेन्टल राइट, जिसकी जमानत दस्तूर ने आर्टिकल 30 (1) में दी है, उससे मुसलमानो को महरूम नहीं किया जा सकता जैसा कि मुल्क के आला अदालत सुप्रीम कोर्ट के फाजिल और काबिल जजो ने अपने अपने फैसले में राय कायम की है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हू।

इन सारी बातो को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दस्तूरे-हिन्द के जारी होने के वक्त अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट, 1920 रायज था जिसके जरिए यह हक हासिल था कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के मेम्बरान और अफसरान सारे के सारे मुसलमान होंगे।

इन बातोका जिक्र मैने इसलिए किया कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानए-हिन्द ने कायम किया था। 1968 की सुप्रीम कोर्ट की राय ने तारीखी हकीकत से इनकार तो नहीं किया बल्कि कानूनी मुशगाफिया निकाल कर मसलहत वक्त का साथ दिया, तकाजाए वक्त का नहीं जैसा कि मुल्क के बडे कान्स्टीट्यूशनल एक्सपर्ट श्री एम० एम० सीरवई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा है

"The verdict is clearly wrong and productive of great public mischief".

मुल्क की फला-बहबूद के लिए और सरकारी पालीसी को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है कि सरकार अलीगढ मुस्लिम

यूनिवर्सिटी बिल 1979 मे सरकारी एमेंडमेंट्स ला कर या पार्लियामेंट के जरिये कानून बना कर इस देश की सब से बड़ी अक्लियत मुसलमानो के जायज दस्तूरी हकूक बहाल करे। वरना हिन्दुस्तान के सेक्युलर डेमोक्रेटिक चेहरे पर एक बदनुमा दाग बाकी रह जाएगा। वह इसलिए भी कि अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 1968 मे किया वह सारी साबिका रवायत के खिलाफ है। इससे पहले और बाद भी जब कभी अक्लियत का कल्चरल और एजूकेशनल मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो अदालते आलिया ने बहुत ही वुसअत और आला स्प्रिट का मुजाहरा करते हुए फैसला दिया। जैसा कि मै पहले बता चुका हूं।

चेअरमैन साहब, हमारे देश मे 104 यूनिवर्सिटिया है। अगर उन मे से एक अलीगढ यूनिवर्सिटी को माइनोरिटी करेक्टर दे दिया जाए तो कोई फर्क नही पड सकता है। जब कि इसी यूनिवर्सिटी के जरिए सारे इस्लामी ममालिक से बेहतर रिश्ता कायम करने मे मदद मिल सकती है। अब यह सारा मामला सरकार की ख्वाहिश, तवज्जो और रुझान पर मुनस्सिर है। न ही यूनिवर्सिटी एक्ट और न दस्तूर मे अमेंडमेंट गैर-मुमकिन है। अक्लियत के जायज हकूक की बहाली और देख रेख पर ही सरकार की कामयाबी का दारोमदार होता है। इसलिए चेअरमैन साहब, मैं आपके जरिए वजीरे तालीम और सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह अमेंडमेंट ला कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनोरिटी करेक्टर को बहाल कर दे।

कहता हू वही बात समझता हूं जिसे हक
न अबलए मस्जिद हूं न तहज़ीब का फरजन्द

इन्हीं ख्यालात और सिफारिशात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हू।

شری حلیم الدین احمد (کشن گنج):

سبھا پتی مہودے - میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی امینڈمینٹ بل پر بولنے کا موقعہ دیا ہے - بل کی موجودہ شکل اگرچہ پورے طور پر مسلمانوں کو اطمینان نہیں دلاتی پھر بھی بہت حد تک وہ قابل قبول ہے - سنہ ۱۹۲۰ کے ایکٹ کے ذریعے جو مراعات اور حقوق مسلمانوں کو حاصل تھے وہ سارے کے سارے ۱۹۶۵ اور ۱۹۷۲ کے امینڈمینٹ سے چھین لئے گئے - یہ شریمتی اندرا گاندھی کے دور میں کئے گئے تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کی سادہ لوحی سے نا جائز فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرنے کے لئے بار بار غلط وعدے کئے - ان کے دل کو مجروح کیا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی -

سنہ ۱۹۷۷ کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں جنتا پارٹی نے بھی اقلیت کو جائز حقوق دینے کا وعدہ کیا گیا - مجھے خوشی ہے کہ جنتا سرکار نے موجودہ امینڈمینٹ بل کے ذریعے مسلمانوں کے زخم کو بھرنے کے لئے یہ قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے -

میں اس بل کی تائید کرنے کے لئے کچھ سجھاؤ سرکار کے سامنے

[شری علیم الدین احمد]

رکھنا چاہتا ہوں - اور امید کرتا ہوں کہ سرکار ٹھنڈے دل سے غور کریگی - اور مناسب قدم اٹھا کر سرکاری امپلائمنٹ کے ذریعے مسلمانوں کے باقی مطالبات اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کریگی - اس دیش میں لگ بھگ دس کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی ہے - میں بھی ان کا ایک فرد ہوں - آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی دلی خواہش ہو رہی ہے کہ وہ اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں برابر کے ساجھے دار بنے رہیں - مجھے یقین ہے کہ مسلمان اس کام کے لئے اپنے اندر معقول صلاحیت قابلیت اور کیریکٹر رکھتے ہیں - مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمیشہ نت نئے مسائل میں الجھائے رکھے جاتے ہیں - کہ انہیں کچھ سوچنے اور کرنے کا موقعہ ہی نہ ملے اور یہ اپنی ساری طاقت اور لیاقت چھوٹے موٹے مسائل کے الجھاؤ میں ضائع کر دینے پر مجبور ہو جائیں - اس طرح زندگی کی دوڑ میں یہ پیچھے پڑتے جا رہے ہیں - میں جب ان مسائل پر غور کرتا ہوں تو پاتا ہوں کہ دیش میں کچھ مفاد پرستوں کا گروہ ہے جو آئے دن ایسے واردات کرکے الجھاؤ اور تناؤ پیدا کرا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں - یہ مفاد پرست فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھیل کھیلا کرتے ہیں - اور ہمیں اکثر فرقہ وارانہ فساد کی زد میں لا کر ساری صلاحیت ضائع کرا دیتے ہیں - ہمیں اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر میں سارا وقت ضائع کر دینا پڑتا ہے - کبھی زبان پر جھگڑا ہے اور کبھی مذہبی رسومات کا - ایسا معلوم پڑتا ہے کہ یہ سب سوچے سمجھے پلان کے تحت کیا جا رہا ہے -

ہندوستان کے بٹوارے کا ذمے دار ٹھہرا کر ہمارے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے - بٹوارہ ایک تاریخی حقیقت بن چکا ہے - جو لوگ بٹوارے کے حامی ہے وہ چلے گئے - لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس دیش کو مادر وطن سمجھ کر گلے لگا رکھا ساری تکلیفوں کو برداشت کیا دیش کی دھرتی سے چمٹے رہے - ان کا آج بھارتیہ کرن کرنے کی کوشش کرنا اور ان پر شبہ کرنا زخم پر نمک چھڑکنا نہیں تو اور کیا ہے - اسی ذہنیت کی بنا پر ملک اور قوم کو نقصان عظیم پہنچ رہا ہے -

میرا عقیدہ ہے کہ اکثریت اگر تھوڑی رواداری سے کام لیتی تو سارے فرقہ وارانہ تناؤ ختم ہو جاتے - اور آزادی کے ۳۲ سال بعد مسلم بھائی بوجھ ہونے کے اس ملک کے لئے پونجی ثابت ہوتے -

ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی امینڈمینٹ بل ۱۹۷۹ کی نسبت اپنے کچھ خیالات ظاہر کرنا چاہتا ہوں - اور ساتھ ہی کچھ سفارشات بھی آپ کے ذریعے سرکار کے رکھنا چاہتا ہوں -

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد کیوں پڑی - اور کیسے پڑی اس کے پس منظر کو دیکھنا بہت ضروری ہے - یہ تاریخی حقیقت ہے - کہ ہندوستان کی حکومت انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا - انگریزوں کی نظر میں مسلمان دشمن سمجھے ایک سمجھے جانے لگے تھے - ۱۸۵۷ کی جنگ آزادی نے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا انگریز حاکم قوم کے ناطے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اور تعلیم کو برباد کرنے پر تلے تھے - انگریز انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کی کوشش کرنے لگے - ہمارے ملاؤں نے انگریزی تعلیم کی سخت مخالفت کی - ہم آہستہ آہستہ زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے ہونے لگے - یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان کی ذات گرامی نے حالات کی نزاکت کو سمجھا - اور مسلمانوں کے پچھڑےپن اور بد حالی کو دور کرنے کی سوچی - وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا - اور ۱۸۷۵ میں علی گڑھ میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانے کے لئے ایک سکول قائم کیا جو ۸ جنوری ۱۸۷۷ میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے مشہور ہوا - ایم - اے - او کالج اور مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن کی انتھک کوشش کے باعث ۱۹۲۰ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد پڑی - اس یونیورسٹی کا مقصد خاص کر مسلمانوں کے تعلیمی معیار کو بلند کرنا تھا - اس میں آہستہ آہستہ بہت سے شعبے اسلامک سٹڈیز کے کھولے گئے - جن میں اسلامی تعلیمات دی جانے لگیں - اس یونیورسٹی کے ذریعے مسلم فلاسفی اسلامک ہسٹری - مسلم لا اور پچھمی ایشیا کی زبان عربی اور فارسی کی تعلیم کا مناسب بندوبست کیا گیا - یونیورسٹی کی کلچرل زبان اردو بنائی گئی - علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ڈگری کو قانونی درجہ دلانے کے لئے سرکاری منظوری ضروری تھی - اس لئے ام - اے - او - کالج سوسائٹی اور مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن نے اپنا اپنا سارا اثاثہ اور نقد ۲۵ لاکھ روپیہ سرکار کے حوالے کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی قانونی منظوری لی - جو ۱۹۲۰ کا ایکٹ کہا جاتا ہے - اب اگر یہ کہا جائے کہ سرکاری ایکٹ کے ذریعے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی - تو یہ ظلم نہیں تو اور

[شری حلیم الدین احمد]

کیا ہے - کیا ہم اور آپ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہیں - کہ ہندوستان کی آزادی ہماری جد و جہد قربانیاں اور خون پسینہ بہانے کے صلے میں ہمیں نہیں ملی - بلکہ برٹش پارلیمنٹ کے ایکٹ کے ذریعے ملی ہے - معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اسے قبول نہیں کر سکتا ہے - ملکی قانون کے تحت ہر تعلیمی درسگاہ خواہ وہ پرائمری ہو سیکنڈری ہو یا یونیورسٹی درجے کا ہو سرکاری منظوری کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا ہے - منظوری دینا سرکار کا قانونی فرض ہے - اور قائم کرنا ایک فرد کی ذمے داری ہے - کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھنے میں ایک ایک اینٹ جمع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے - پھر جوڑنا پڑتا ہے - خون پسینہ ایک کرنا ہوتا ہے - اور تب جا کر مکان تیار ہوتا ہے - یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان ساری لوازمات کو بھول کر ریکگنیشن کا ایک جملہ بنیاد کا حرف آخر ثابت ہو جائے -

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی کیریکٹر بحال کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سرکار کے لئے رکاوٹ ہے - ۳۲ برس کی آزادی کے درمیان قریب ۵۹ بار دستور میں امینڈمینٹ ہوئے ہیں - ایمرجینسی کے درمیان بھی قانون بنائے گئے - اور سارے قانون کو پارلیمنٹ کے ذریعے ترمیم کیا گیا ہے - کہا جاتا ہے کہ قوم اور ملک کے مفاد میں ترمیمات کی گئی ہیں - کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی کیریکٹر دینا ملک اور قوم کے مفاد میں بہتر اور مفید نہیں ہوگا - جبکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اعلی قومی ادارہ ہے - جہاں کسی بھید بھاؤ کے بغیر ہر ذات اور فرقے کے لڑکے تعلیم پاتے ہیں - سنہ ۱۹۶۵ و سنہ ۱۹۷۲ کے امینڈمینٹس نے اس یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کو زک پہنچائی - اور بنیادی حقوق سے مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا - جو مسلمانوں کے لئے دلی کلفت کا باعث بنا ہوا ہے - اس وقت سے آج تک پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر مسلمانوں کی طرف سے مائنورٹی کیریکٹر بحال کرانے کا احتجاج جاری ہے - جب ۱۹۲۰ کے ایکٹ کے بہت سارے مراعات واپس کئے جا رہے ہیں تو قومی نقطہ نظر سے مائنورٹی کیریکٹر کی بحالی میرے خیال سے ازحد ضروری ہے - مائنورٹی کمیشن کی سفارش اور راجیہ سبھا سے بل کی منظوری بھی قابل غور ہے -

ہمارے دستور کے مطابق دفعہ ۲۹ اور ۳۰ میں اقلیتوں کے لئے دئے گئے مراعات کے بارے میں ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے بہت سے فاضل ججوں نے اپنا اپنا خیال اور

رائے فیصلہ دیتے وقت ظاہر کیا ہے - جو قابل غور ہے - مسٹر سیتھیو اور چندر جوڑ ججوں نے احمدآباد سینٹ زیویئر سوسائٹی کے مقدمے میں رائے دیتے ہوئے کہا ہے -

"A pplication or recognition without which the educational Institution established by the minority for imparting secular education will not effectively serve the purpose for which they were established and cannot be made an instrument of suppression of the rights guaranteed". AIR 1974, S.C. page 1389.

آگے یہ بھی کہا ہے -

"The fundamental rights cannot be surrenderd or bartered away".

اس مقدمے کے فیصلے میں شری کھنہ - جج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ

"Liberal, generous and sympathetic approach is reflected in the Constitution in the matter of preservation of the right of minorities, so far their educational institutions are concerned".

اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ۱۹۶۷ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی رٹ پر رائے دیتے ہوئے یہ کہا ہے-

"There is no ban *for* the Parliament to make law for governance of Aligarh Muslim University as it thinks fit (AIR 1968 S.C. Page 662—para 34).

چیئرمین صاحب آرٹیکل ۳۰ (۱) کے اندر یونیورسٹی کا قیام کرنا ایک ایبسولیوٹ رائٹ ہے- لیکن ساتھ ہی دستور میں اب کوئی شرط نہیں ہے کہ یونیورسٹی لیجسلیٹو ایکٹ کے ذریعے ہی قائم ہونی چاہئے - جیسا کہ آج سے پہلے بھی کہا گیا تھا- کہ سپریم کورٹ نے (establish) اسٹیبلش کا انٹرپریٹیشن نیرو سینس میں کیا ہے اور اس پر جو رائے دی ہے وہ مسلم مفاد کے خلاف ہوتی ہے - ایکسفورڈ ڈکشنری دیکھنے کے بعد "ایسٹیبلش" کا جو معنی پاتے ہیں وہ یہ ہیں -

"to secure permanent acceptance for (custom, precedent, belief etc.)

اور ایڈمنسٹر کے معنی جو آکسفورڈ ڈکشنری میں دئے گئے ہیں وہ یہ ہیں -

To apply (remedies to) contribute to (one's comfort etc).

یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایسٹیبلش کا جو انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کیا ہے اور وہ نیرو سینس میں کیا گیا ہے اور اس کو بہت وائڈ طریقے سے لینا چاہئے- یہ میں اس لئے کہہ رہا تھا - کیونکہ آرٹیکل ۳۰ (۱) میں یونیورسٹی کا قائم کرنا ایک فنڈامینٹل رائٹ ہے لیکن ساتھ ہی دستور میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے اس لئے علی

[شری حامد الدین احمد]

گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ میں اگر کوئی لیکونا رہ گیا ہے تو اس سے اقلیتوں کے فنڈامینٹل رائیٹ جس کی ضمانت دستور نے آرٹیکل ۳۰ (۱) میں دی ہے - اس سے مسلمانوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے - جیسا کہ ملک کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کے فاضل اور قابل ججوں نے اپنے اپنے فیصلوں میں رائے قائم کی ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں -

ان ساری باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دستور ہند کے جاری ہونے کے وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ ۱۹۳۰ رائج تھا - جس کے ذریعے یہ حق حاصل تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کورٹ کے ممبران اور افسران سارے کے سارے مسلمان ہونگے-

ان باتوں کا ذکر میں نے اس لئے کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانان ہند نے قائم کیا تھا - ۱۹۶۷ کی سپریم کورٹ کی رائے نے تاریخی حقیقت سے انکار تو نہیں کیا بلکہ قانونی موشگافیاں نکال کر مصلحت وقت کا ساتھ دیا - تقاضائے وقت کا نہیں جیسا کہ ملک کے بڑے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ شری ایس ایم سروئی (sarva i) نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا ہے

"The verdict is clearly wrong and productive of great public mischief".

ملک کی فلاح و بہبود کے لئے اور سرکاری پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ سرکار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بل ۱۹۷۹ میں سرکاری امینڈمنٹس لا کر پارلیمنٹ کے ذریعے قانون بنا کر اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کے جائز دستوری حقوق بحال کرے ورنہ ہندوستان کے سیکولر ڈیموکریٹک چہرے پر ایک بدنما داغ باقی رہ جائے گا - وہ اس لئے بھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی رٹ پٹیشن پر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ ۱۹۶۸ میں کیا وہ ساری سابقہ روایت کے خلاف ہے - اس سے پہلے اور بعد بھی جب کبھی اقلیت کا کلچرل اور ایجوکیشنل معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا تو عدالت عالیہ نے بہت ہی اعلیٰ سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ دیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں -

چیرمین صاحب ہمارے دیش میں ۱۰۳ یونیورسٹیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک علی گڑھ یونیورسٹی کو مائنورٹی کریکٹر دے دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے - جبکہ

اسی یونیورسٹی کے ذریعے سارے اسلامی ممالک سے بہتر رشتہ قائم کرنے میں مدد مل سکتی ہے - اب یہ سارا معاملہ سرکار کی خواہش توجہ اور رجحان پر منحصر ہے نہ ہی یونیورسٹی ایکٹ اور نہ دستور میں امینڈمینٹ غیر ممکن ہے اقلیت کے جائز حقوق کی بحالی اور دیکھ ریکھ پر ہی سرکار کی کامیابی کا دارومدار ہوتا ہے - اس لئے چیرمین صاحب میں آپ کے ذریعے وزیر تعلیم اور سرکار سے سفارش کرتا ہوں کہ وہ امینڈمنٹ 1 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی کریکٹر کو بحال کر دیں -

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا
ہوں جسے حق
نہ اہل مسجد ہوں نہ تہذیب
کا فرزند

انہی خیالات اور سفارشات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں - شکریہ

SHRI G. M. BANATWALA (Ponnani): Mr. Chairman, Sir: The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill is under discussion. I have moved an amendment to refer the Bill to a Joint Committee of both the Houses, with instructions to report to this House by the last day of the first week of the next session.

The Statement of Aims and Objects appended to the Bill has made several claims. It is however, unfortunate that all these claims are not adequately reflected in the provisions of the Bill. The Bill also does not concede that the Aligarh Muslim University is a minority institution, as envisaged by Article 30(1) of the Constitution. The Minorities Commission has also not been consulted by the Government before the Bill was introduced in this House.

The Minorties Commission, *vide* their letter dated 9th March 1978 specifically requested the Education Minister to give it an opportunity to express its views with respect to the Aligarh Muslim University before any Bill to amend the Act was introduced in the House. It is unfortunate that the Government chose to neglect totally the request of the Minorities Commission. On May 4, 1978, the Education Minister made a statement in the House announcing the decision of the Government to amend the Aligarh Muslim University Act. The Minorities Commission learnt of this the next day through the Press. On 5th May, 1978 the Government wrote a letter to the Minorities Commission; but in this letter also, the Government said not a ward about the specific request of the Minorities Commission. This shows how shabbily the Minorities Commission has been treated by the Government. The Minorities Commission has submitted its report. The report, after our repeated demands, has been laid on the Table of the House. This is what the Minorities Commission has observed in their report, at paragraph 6:

> "The Commission had expected to be consulted in a matter which is essentially one with which the Commission are concerned, and one in regard to which the Commission had specifically requested an opportunity to make their recommendation to the Government . . .
>
> . . ."The Commission regrets that they were not so consulted in the preparation of the Bill."

[Shri G. M. Banatwalla]

I have raised this point only to ask why was the Government fighting shy to consult the Minority Commission? What was it that they wanted to hide? What was it that they feared from the Minority Commission created as a result of executive order of this very Government?

In fact the Aligarh Muslim University's Art. 30 is translated into reality. The Aligarh Muslim University represents the hopes and the aspirations of the Muslims in India. It is most unfortunate of course, that the amendment Acts of 1965 and 1972 strangled the Aligarh Muslim University. The present Bill claims to ameliorate the situation; but the provisions of this Bill do not adequately and substantially satisfy the aspirations of the Muslims. Great were the hopes and high were the expectations of the Muslims from this Janata Party Government. But I am sorry to say that today disappointment and dismay has set in everywhere. In the first place, the Bill does not ensure to the University, as I said, the protection under Article 30, clause 1 of the Constitution as a minority institution.

Now, with respect to the autonomy of the University, while there is some improvement in the Bill, there are basic shortcomings of a very serious nature. Several examples can be cited, but because of the paucity of time, I will restrict myself to a few of the provisions of the Bill. In the first place, it is claimed that the status of the court as the supreme governing body with statute making power has been restored by this Bill. That is the claim. We must understand the nature of the claim. The claim is that the Bill restores the status of the court as a supreme governing body with statute making power. Now, Mr. Chairman, I invite the attention of this House to clause 18 which substitutes section 28 of the principal Act. It is very clearly mentioned that the court will have no power whatsoever to amend or alter the statutes except with the prior approval of the visitor, namely, the President of India. The President of India, therefore, has arbitrary powers, and the entire court, therefore, is helpless in this particular matter. The claim that has been made in the statement of objects and reasons is therefore not truly reflected in the Bill. The claim is a great farce that has been created.

Then it must be remembered that the most important change that was made by the Act—I should say black Act of 1972—was to replace all the statutes then prevalent with another set of statutes. It is unfortunate that these statutes are retained even by this Bill The Act of 1972, as far as statutes are concerned, threw its net far and wide, covering subjects like terms and conditions of services of teachers, terms and conditions of the services of even the temporary teachers, terms and conditions of the services even of those teachers appointed on casual vacancies, removal of employees, courses of study, maintenance of discipline among students and so on. The black Act of 1972 made statutes with respect to all these matters; these statutes are retained by the present Bill and the court has no power to change those statutes without the prior sanction of the visitor, namely the President of India.

Let us take statute 4(1) which is about the appointment of Pro-Vice-Chancellor; that statute is maintained even by the present Bill. The Pro Vice Chancellor will be apointed by the executive council on the recommendations of the Vice Chancellor. The Vice-Chancellor recommends to the executive council and if the executive council does not like the recommendation of the Vice Chancellor the matter goes to the President and the President may himself appoint the

recommended Pro-Vice Chancellor. Such are the sweeping shortcomings still to be found in the present Bill inspite of some improvement that has been made.

Look at the appointment of the Vice Chancellor. According to the Bill the Vice Chancellor will be appointed by the visitor, namely, the President of India, from a panel to be submitted by the court. The court is also not free to submit a panel to its own. The court has to select for its panel people suggested in the panel submitted by the executive council. Look at the composition of the executve council. It is overwhelmingly packed with nominated members and by those representing internal interests. there are hardly 5 members elected by the court on the executive council. Further examples may be cited, Section 12(2) of the principal Act confers arbitrary powers on the visitor. Look at the sweeping nature of the limitation. The court is helpless in establishing special centres, specialised laboratories, research institutions etc. for the furtherance of its objectives without the prior sanction of the visitor, namely, the President of India. The court is subordinate to the visitor. Therefore, prior sanction is necessary even in such matters.

The present amending Bill makes new statutes Nos. 32, 33 and 34. These are provisions for students' unions, for teachers' association, and for other staff association. The provision is most undemocratic in nature. These associations and unions are not allowed to have their own constitution; it will be prescribed by the statutes and these statutes cannot be altered without the prior approval of the visitor. These are the many shortcomings of a sweeping nature that have to be considered by this House.

There is parrot like repetition of untenable, ill-conceived and outmoded arguments. It is argued that contributions have been received from non-Muslim donors, that the principal of the M.A.O. college was an Englishman, that non-Muslims are also admitted as students and so on. I have dealt at length with this particular point, last time when I moved my own non-official Bill on this matter and I have pointed out that none of these arguments compromise the fact that the university a minority institution under article 30(1) of the Constitution. The donations were given to avowedly minority institutions. The donors would have felt insulted by the present suggestion that their donation deprived the institution of its minority character. They really gave donation so that the minority institution may come into existence. Further, surely the employment of non-muslim staff cannot be considered as destructive of the minority character of the Aligarh Muslim University. With respect to admissions, the Supreme Court in its own opinion in Kerala Education Bill 1977 have already opined that this does not militate against the minority character.

There is one very important point to which I would like the Government to give its thought and this House to give its serious consideration. We have been demanding the restoration of the minority character of the Aligarh Muslim University. The definition given, therefore, must be properly changed. But the Government had suggested the definition of the word 'university'. I put this question specifically—what is the purpose of this definition which has been suggested by the Government? What is the purpose of the definition suggested in the Bill by the Government? Does this definition give the University the protection under Article 30(1)? It does not. If it does not, it does not satisfy the Muslims. But further what happens? The hon. Minister has himself clarified that this definition. and the Bill also are in accordance with the opinion of the Supreme Court in Aziz Basha's case. In Basha's case the

[Shri G. M. Banatwala]

Supreme Court held that the University was not established by Muslims. Now, what the Government is doing is simply endorsing the opinion of the Supreme Court. What the Muslims asked was the correction of the situation resulting out of the judgement of the Supreme Court. What we were demanding was that the word 'university' should be so defined that minority character comes up. On the contrary the Government comes forward to endorse the judgement that has been given by the Supreme Court. The definition given by the Government in the Bill explicitly makes a distinction between the Aligarh Muslim University on the M.A.O. College. The definition of the Government says that it was the MAO college that was established by the Muslims and not the University That is the definition given by the Government. The definition endorses once and for all decision of the Supreme Court and closes all the doors whatever with respect to the fate of the University. We asked with great restlessness to change the definition, to change the situation resulting from the decision of the Supreme Court and the Government in complete defiance of all our sentiments have come forward merely to endorse what the Supreme Court has said. What will be the fate? Tomorrow, we will not even be left with the alternative of approaching the Supreme Court to revise its decision. Then the Supreme Court will say that the definition has already been changed and the definition changed by the Parliament has said that the University is not established by the Muslims. That means the opinion of the Supreme Court endorsed by this Parliament closes the door once and for all for us even to approach the court to review its decision. This is a clear deception and great fraud that is being committed upon the Muslims. I ask, if the definition suggested by the Government does not give us the minority character, then what is exactly the purpose of changing the definition? If you keep the original definition of the Act of 1920 that 'University' means Aligarh Muslim University then at least there is no finality of opinion given by this Parliament. At least the doors will be open for the people to go to the court. However, I say that this Bill and this definition puts the seal of finality on all arguments concerning the minority character of the Aligarh Muslim University and says to one and all in its definition, in accordance with the Supreme Court decision, that the university has been established by the Act and the M.A.O. College was established by Muslims. This is only a point I was making. What we want of the Government is to come forward in accordance with all the historical facts to, so change the definition as to give us the minority character, i.e. to give us the protection under article 30(1). I plead with the Government to consider the sentiments of the millions of Muslims of India. I hope the demand, which is a very just demand, will even at this late stage, be conceded by the Government. There are a few improvements in the present Bill. There are, however, serious shortcomings that I have pointed out. It is absolutely necessary that these shortcomings be removed. I once again appeal to this House and to the hon. Minister to consider all these things. Government is indeed bound by the decision in Azeez Basha's case, but the House is Supreme and it can effect the changes that it wants, and that is exactly the plea that we make before this House. Please accept the amendment to the definition of the word 'university' which the Minorities Commission has suggested with a view to give us the protection under article 30(1) of the Constitution.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, मैंने अपने मित्र श्री बनतवाला का भाषण बड़े ध्यान से सुना और मैं यह भी

जानता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में मुसलमानों की भावनाएं बहुत उत्तेजित है, विशेषतः 1965 और 72 के संशोधन के बाद यह एक जबर्दस्त माग मुसलमानों में है कि इस का माइनारिटी कैरेक्टर रहना चाहिए और इस की आटोनामी भी इस के साथ रहनी चाहिए। मेरी जो अप्रोच है वह केवल इस यूनिवर्सिटी के बारे मे नही, बल्कि देश की सभी यूनिवर्सिटीज के बारे मै एक समान है। वह बड़ी अनकन्वेंशनल है। मै यह समझता हूं कि यूनिवर्सिटी जिम उद्देश्य के लिए बनाई जाती है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए न कि कोई यूनिवर्सिटी माइनारिटी की है, कोई मेजारिटी की है, कोई हिन्दू की है, कोई मुसलमान की है। मैं चाहता हू कि यह चीज देश मे 33 साल की आजादी के बाद तो खत्म होनी चाहिए और जब तक यह खत्म नही होगी यह दुर्भाग्य की बात होगी। यह दुर्भाग्य है आज और उस के लिए मै बनतवाला जी को दोषी नही ठहराता, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं कि शायद हम इन के मन में जो विश्वास पैदा करना चाहिए वह पैदा नही कर पाए। इसके लिए हम दोषी है। खास तौर से मेजारिटी कम्युनिटी दोषी है। मैंने श्री बनतवाला साहब की स्पीच को सुना मान लीजिए कि मुस्लिम करैक्टर को मान लिया जाता है तो क्या लाभ होगा? इससे विशेष लाभ क्या होगा? मेरे इलाके में करीब 40-50 हजार मुसलमान वोट हैं।

श्री बसन्त साठे : और कुछ नहीं होगा तो विश्वास पैदा होगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : यहां दिल्ली में मेरे इलाके में करीब 50 हजार मुस्लिम वोट है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है मुसलमानों की बस्तियों में, पहले अपने बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तब और आज भी जब जाता हूं तो उनके रहन सहन का तरीका, उनकी आर्थिक अवस्था, उनकी एकोनामिक कंडीशंस, प्रायः मोटे तौर पर एक जैसी ही है। एक घर में 40 साल पहले अगर तीन व्यक्ति रहते थे तो आज 8-10 हो गए हैं लेकिन उनका घर वैसा ही है। अगर बाप लोहा कूटता था तो उसका लड़का भी लोहा कूटता है और उसके लड़के का लड़का भी लोहा कूट रहा है। मुझे बनतवाला साहब से इस बात की शिकायत है कि मुसलमानों की जो लीडरशिप है उसने अभी तक सेंटीमेंटल सवाल तो उठाए हैं लेकिन आर्थिक सवाल नही उठाए है। उनकी हालत सुधारने के लिए, उनके स्टैंडर्ड को ऊचा करने के लिए कोई सवाल नही उठाए है। मेरे पास डा० खुसरो का भाषण है, मैने उनसे व्यक्तिगत बात भी की, उनसे पूछा कि अलीगढ यूनिवर्सिटी ने अभी तक कितने आई० ए० एस० आफिसर पैदा किए, कितने आई० पी० एस० आफिसर पैदा किए और सेन्ट्रल सर्विसेज मे वहां के कितने लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1975-76 तक सारी यूनिवर्सिटी से एक भी व्यक्ति सेन्ट्रल सर्विसेज में नहीं गया। अभी पिछले एक दो साल से कुछ शुरुआत हुई है। हम शिकायत करते है कि मुसलमान बड़ी जगहों पर नही है लेकिन क्यों नही है? जब तक आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऊंचा नही करेंगे, उसके लिए कोशिश नहीं करेंगे वहां पर अच्छा स्टाफ नहीं होगा, अच्छी टीचिंग नही होगी तब तक केवल मुस्लिम करैक्टर बनाने से कोई लाभ नही होगा।

एक बात मैं मानता हूं कि मुसलमानों की कल्चर, उनका इतिहास बना रहना चाहिए और उसमें हमारी सरकार को भी मदद करनी चाहिए? मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि दोनों चीजों को अलग अलग करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है जोकि मुस्लिम कल्चर के बारे में अध्ययन कराती है जैसा कि शायद अमरोहा में है, देवबन्द और दूसरी जगहों पर हैं तो

[श्री. कंवर लाल गुप्ता]

उनको सरकार आफिशियली मदद करे। मैं इस बात का स्वागत करता हूं। मैं चाहूंगा कि मुसलमानों की जो कल्चर है उसकी स्टडी मुसलमानों को और दूसरे लोगों को भी करानी चाहिए कि हमारे देश में क्या हुआ लेकिन अगर उस चीज को आप यूनिवर्सिटी में लायेंगे तो वह उचित नही होगा। क्या जो हमेशा अलग अलग रहे वे अलग अलग ही रहेंगे ? क्या हम मेनस्ट्रीम में नही आ सकते ? हम कब तक अलग अलग रहेंगे ?

आपने आर्टिकिल 30 की बात कही। ठीक है, जब देश का बटवारा हुआ तो लाखों लोग इधर से गए और लाखो लोग उधर से आए। उस समय एक खास परिस्थिति थी, एक खास सिच्युएशन थी जिसमे आर्टिकिल 30 बनी। शायद हमारे विधान निर्माता इसको बनाने पर मजबूर हुए कि एजूकेशन के मामले में भी सेफगार्डस रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज 32, 33 साल के बाद क समय आया है कि हम उस आर्टीकिल के बारे में रिव्यू करें और खास तौर से मुझे और चीजों में एतराज नहीं है लेकिन एजूकेशन में कम से कम यह जरूर होना चाहिए एजूकेशन के मामले में हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई पादरी वगैरह जैसी चीज नही होनी चाहिए। वह सब के लिए समान होनी चाहिए। वैसे आप कल्चर के बारे में कुछ सुरक्षा रखिये, धर्म के बारे में रखिये और दूसरी किसी चीज के बारे में रखिये और उस के लिए सरकार से मदद चाहिए तो मैं उन लोगों में हूं जो यह चाहते हैं कि उनको मदद दी जाए। मेरी निगाह मे एक सच्चा मुसलमान बहुत अच्छा है अगर वह नमाज पढ़ता हैं और मस्जिद में जाता है, उसकी बजाय जो भगवान को नहीं मानता। मैं चाहूंगा कि कोई मुसलमान कोई ईसाई, कोई हिन्दू, जो भगवान को मानता है, वह गिरजाघर में जाए, अगर वह जाना चाहता है, वह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, वह मंदिर में जाए।... (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दू है, तो वह मन्दिर में जाए, मुसलमान है तो वह मस्जिद में जाए और ईसाई है तो गिरजाघर में जाए क्योंकि वहां जाकर उस को अपने धर्म के बारे मे ज्ञान होता है। मैं इस को बुरा नही मानता।.... (व्यवधान) ... इसमें आप का मेरे से मतभेद हो सकता है लेकिन मैं इस को ठीक समझता हू।

श्री बसन्त साठे (अलोला) : कितने पाखंडी वे लोग हैं, मंदिर मे जा कर सारे पाप करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : सारे पाखंडी नहीं होते हैं, सारे बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। मेरा कहना यह हैं कि कोई मुस्लिम जो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है या मस्जिद में जाता है। मेरी निगाह मे वह 10 गुना ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो भगवान को मानता ही नही। इसलिए मैंने वह बात कही कि अगर आप कल्चर के लिए सेफगार्ड करें, तो उस को सेफगार्ड करने के लिए सरकार को पूरी मदद करनी चाहिए। उस के लिए किताबों की छपाई है या बच्चों के रहन-सहन को ठीक करने की बात है तो वह होनी चाहिए। मैं तो यहां तक इस के लिए तैयार हूं कि मुस्लिम लीडरशिप डेवेलप होकर आए और यह मांग करे कि हमारी एकोनामिक कंडीशन्स ठीक होनी चाहिए लेकिन आज वह हो नही रहा है। आज 32 साल में, मैं अपनी कांस्टीटुयेन्सी में यह देख रहा हूं कि जिस का बाप लोहा कूटता था, वह भी खुद लोहा कूटता है और उस का लड़का भी लोहा कूटता है। इसके लिए मैं कुछ कहूंगा तो मेरी बात एक खास बैकग्राउन्ड में समझी जाएगी लेकिन मैं यह चाहूंगा कि मुस्लिम लीडरशिप डेवेलप हो चाहे इधर की हो और चाहे उधर की हो, वे आर्थिक सवालों को लेकर इकट्ठा हों और उसको ठीक करें। अगर वे ऐसा करते हैं, तो वह

सारी समस्या ठीक हो जाएगी । अलीगढ़ के खुसरु साहब का भाषण मेरे पास है । खुसरु साहब ने क्या कहा है, यह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं :

"Dr. Kuzro pointed out that the University did not believe in making any special reservations for the Muslims, either in admission or appointment, or in its highest executive body of 210 members, the Court. There have been suggestions of reserving seats for Muslims in the Court, but so far we have resisted this"

ये डाक्टर खुसरु है, जो अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर है । वे आगे यह कहते हैं :

"The University, Dr. Kuzro admitted had been hampered by a minority complex under which the students never become competitive or worked themselves up to a levels of excellence to which they were capable. However, this attitude of diffidence, he maintained, was fast disappearing, particularly after the introduction of the training course for competitive examinations. Initially, the number of AMU students getting into Central Services ran from 0 to 1 per cent."

This is the position.

अध्यक्ष महोदय मेरे कहने का मतलब यह है कि 33 साल के बाद भी आज यह मसला हमारे सामने है । हमारी जो लीडरशिप है और उधर जो भाई बैठे हैं सभी से मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर जब तक आप सही मायनों में मुसलमानों की इकोनोमिक कंडीशंस, एजूकेशनल कंडीशंस और सोशल कंडीशंस को नहीं सुधारेंगे तब तक मुसलमान भाई वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं । हम ने तीस साल तक उन्हें मारे देकर रखा है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी करेक्टर बन जाएगा तो क्या वहां सब ठीक हो जाएगा । आपने यह कैसे सोच लिया कि अगर वहां मुसलमान होगा तो वह चाहेगा कि मुसलमान ठीक हो और हिन्दुओं के जाते ही वह ठीक नहीं रहेगा । सब तरह के लोग होते है । आपको इस तरह से नही सोचना चाहिए । आज 33 साल के बाद हम एक हैं । मुसलमान यहां किसी की दया पर नहीं है । सभापति महोदय, मुझे याद है, जब 1967 के चुनाव हो रहे थे, मैं उस समय जनसंघ मे था तो हमारे देश के एक गणमाण्य नेता प्रधान मंत्री जी ने उस समय मुसलमानों से कहा था कि अगर जनसंघ यहां पर आ जाएगा तो तुम्हारी मस्जिदें गिरा दी जायेंगी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा । कहने का मतलब यह है कि क्या मुसलमान किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति की दया पर यहां रहेंगे ? नही । यहां पर मुसलमान हैं ओन देअर ओन राइट । जैसे मै हूं वैसे आप है । हम में कोई फर्क नही है । अगर मैं यह कहूं कि जनता पार्टी रहेगी तो मुसलमान रहेंगे या कांग्रेस पार्टी रहेगी तो मुसलमान रहेंगे तो यह बेवकूफी की बात होगी । अगर कोई यह कहता है तो गलत कहता है । मैं समझता हूं कि इस तरह से मुसलमानों से कहना गलत होगा ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : आप इण्डियनाइज्ड करने की बात कहते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : आज इण्डियनाइज्ड सारे हिन्दुस्तानियो को करने की जरूरत है ।

We have just heard Mr. Saugata Roy. He has read in the press that about 15 military officers of different ranks were indulging in espionage for Pakistan, and I think majority of them are Hindus. There is hardly any Muslim. So you have to Indianise all the Indians, not only you and me or Mr. Banatwalla, but I think all the three.

श्री सौगत राय : क्या शाखाओं मे ले जा कर करेंगे ?

श्री कंवर लाल गुप्त : ऐसी जो शाखाएं हैं वह बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप भी आ जाएं तो देखेंगे कि वे कैसी है। मेन स्ट्रीम मे लाने की बात को आप छोड़ दें। किसी फिरके की भावनाओ को उभाड कर वक्ती कुछ फायदा उठाया जा सकता है लेकिन मै नही समझता हूं कि इस तरीके से हम उस फिरके की कोई सर्विस करते है, कोई खिदमत नही करते हैं। मुसलमानों को नशीली चीज पिला कर जो आप उनको नशे मे रखते है उसकी जरूरत नही है। मुसलमानों को चाहियें नौकरिया, एजकेशन, उनको चाहिये कि उनकी इकोनोमिक कंडिशन सुधरे। अगर वह नान बनाने का काम करता है या बिस्किट बनाता है तो उसका लडका बड़ा आदमी क्यों नही बन सकता है? दस बीस मुसलमानो को मिनिस्टर या पार्लियामैंट का मैम्बर बनाने से मुसलमानों की प्राबलैम साल्व नही हो सकती है। तीस साल तक यही होता रहा है। थोडे से लोगों को पकड कर और उनको मंत्री बना कर हम आगे लाकर उनको घुमाते रहे है। इस तरह की बात से कुछ होने वाला नही है। हम को जड को पकडना चाहिये, नीचे से काम शुरू होना चाहिये।

मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं। मे सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे मे नही बल्कि सभी के बारे मे कहता हूं। जहां तक कल्चर का सवाल है मुसलमानों की कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए जैसे देवबन्द हैं उनको सरकार को अलग मे ग्रांट देनी चाहिये, जितनी दे रही है उससे कई गुना अधिक देनी चाहिये। ऐसा किया गया तो मुझे खुशी ही होगी। इस यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी से नामों को हटा कर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वहां अच्छी तालीम विद्यार्थियों को मिले, कम्पीटीशंज मै वे लोग आएं और कामयाब हों। इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो बिल है उसका मै पूरी तरह से समर्थन करता हू।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ) आपकी मशकूर हू कि आपने मुझे मौका दिया है। अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम कम्युनिटी जो हिन्दुस्तान मे बसती है उसका एक सरमाया है। अपनी शानदार रवायात के साथ अपने शानदार तमद्दुन के साथ वह आज भी नैशनल सर्विस अंजाम दे रही है। उसने बडे बडे स्कालर, साइंटिस्टस और हिस्टोरियंज पैदा किए है जिन्होने हिन्दुस्तान मे ही नही बल्कि पूरी दुनिया मे नाम कमाया है।

इस यूनिवर्सिटी के बारे मे बहुत कुछ यहा कहा जा चुका है। मैं उस मे जाना नही चाहती हू। मैं चन्द चीजे ही आपकी खिदमत मे पेश करना चाहती हू। उस वक्त मुस्लिम कौम का जो हाल हो रहा था, जो एक निराशा का वातावरण था, खुददारी खत्म होती जा रही थी, डिमारेलाइजेशन आ रहा था उसको देखते हुए सर सैयद अहमद खा को खयाल आया और मुस्लिम कौम हमेशा उनकी ममनून रहेगी, तो दुनिया ममनून रहेगी और उनका नाम रहेगा कि न सिर्फ इतनी बड़ी चीज इस मुल्क को बल्कि दुनिया को उन्होंने दी और इस यूनिवर्सिटी को कायम किया। दुनिया के तमाम हिस्सों से यहां लड़के पढ़ने के लिए आते हैं। सर सैयद अहमद खा ने एक ऐसा सरमाया छोडा है जिस ने बहुत कुछ इस कौम को दिया है। जब उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के बारे मे सोचा था तो उनके दिमाग में यही चीज थी कि मुस्लिम कौम के बच्चों को भी पढ़ने लिखने और खास तौर से हायर एजूकेशन

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

का मौका मिलना चाहिए ताकि वे भी मुल्क की खिदमत कर सकें और अपनी इक्तसादी हालत को सुधार सकें। जिस वक्त उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की बात की उस वक्त मुसलमान कौम में भी उनके खिलाफ एक जज्बा उभरा। चूंकि उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ एक जबर्दस्त नफरत का जज्बा मुसलमानों में था इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सर सैयद अहमद खां मुस्लिम कौम को ला जहब कौम बना रहे है, उसको अपने दीन से बे बहरा कर रहे है अंग्रेजी तालीम दे कर और मुल्क के नौजवानों को बरबाद करने जा रहे है लेकिन उन्होंने बडे हौसले और हिम्मत के साथ सारी बातें सही और यह डगकेबल चली।

एजूकेशन मिनिस्टर की स्पीच को सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब और अफसोस हुआ जब उन्होंने एक दलील यह दी जोकि बड़ी बचकाना, बड़ी चाइल्डिश थी कि पहला ग्रेजुएट जो इस यूनिवर्सिटी से निकला वह नान-मुस्लिम था। वह बात उन्होंने बड़े फख्र के साथ कही है। यह कोई दलील नहीं थी जोकि मुस्लिम कारेक्टर के खिलाफ पेश की जा सकती हो। यह तो फख्र की बात है इस यूनिवर्सिटी के लिए कि वह नान-मुस्लिम था, खुशी की बात है। आज भी वहां चालीस परसेंट के करीब तालिब इल्म नान मुस्लिम हैं। टीचर्स भी वहा नान-मुस्लिम हैं। यह तो वहां के करेक्टर की बात हुई। इस यूनिवर्सिटी को कायम करने का बुनियादी मकसद क्या था। इसको मुसलमानों के जरिए एस्टैबलिश किया गया और उनके जरिए यह एडमिनिस्टर की जा रही है, मैनेज की जा रही है। उसका करेक्टर कायम रहना चाहिए। मुझे ताज्जुब हुआ यह सुन कर जब उन्होंने अपनी स्पीच में आखिर में यह कहा :

"I was taking up the very important question concerning the character of the University. It is said that the minority character should be restored. Now we are trying to understand what is meant. by the minority character."

16.00 hrs.

आपने जिस वक्त अपने 1977 के मैनिफेस्टो मे रखा था कि माइनोरिटी करेक्टर बहाल करेंगे, माफ कीजिए एजूकेशन मिनिस्टर साहब, आपको उस वक्त इसके मायने नही मालूम थे कि माइनोरिटी करेक्टर का मतलब क्या होता है? जो पोलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखे कि हम माइनोरिटी करेक्टर बहाल करेंगे और आज आप अपनी तकरीर मे कह रहे है कि हम देख रहे हैं, कि माइनोरिटी करेक्टर का मतलब क्या होता है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र यह कोई माइनोरिटी करेक्टर का सवाल नही है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : आपने बारबार यही कहा। जब मैं आजमगढ़ मे इलैक्शन लड रही थी तो आपके सदर साहब वहा गये, आप उनकी उस वक्त की स्पीच निकाल कर देख लीजिए, उनसे वहा सवाल किया गया कि आपने माइनोरिटी करेक्टर की बात अपने मैनिफेस्टो में की है कि यह आप बहाल करने जा रहे है तो कब बहाल करने जा रहे है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बिल कब इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे है? उन्होने कहा कि हम जाते ही, जैसे कि सैशन अभी हो रहा है हम जाते ही इसे इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे है। उन्होंने कहा कि हम जाते ही इसे इंट्रोड्यूस करेंगे। आप उस वक्त की प्रोसीडिंग्ज निकलवा कर देखिए कि इलैक्शन के बीच में वह बिल यहां इन्ट्रोड्यूस हुआ था, महज इसलिए कि आजमगढ़ का इलैक्शन जीत लिया जाये, लेकिन, इत्तफाक से आपकी बदकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती, उसमें जनता ने आपके खिलाफ फैसला किया।

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

आज आप उस माइनौरिटि करैक्टर का मतलब समझना चाहते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। गुप्ता जी ने अपनी तकरीर में कहा कि आपको क्या राय है। आप यह कह सकते हैं कि हमने क्यों नहीं किया। हमने जो गलती की, उसको आप भी दोहरायेंगे जरूर, ऐसा लगता है। मैं कहना चाहती हूं कि उस वक्त के वजीरे-आजम के साथ कुछ ऐसे नादान दोस्त और ना-समझ लोग थे कि जिन्होंने करोड़ों लोगों के जजबात का एहसास नहीं किया और आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं और शायद आप भी भुगतेंगे, ऐसा मैं समझती हूं। मैं उस वक्त भी चाहती थी और आज भी कहना चाहती हूं कि कुछ लोगों ने अपने जाती मफाद और जाती रंजिश के लिए हुसतो-खेलत एक ऐसे इन्स्टीट्यूशन को खत्म करने की कोशिश की जो आज भी सरबुलन्द होकर अपनी दास्तान बयान कर रहा है और आगे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा है।

मैंने गुप्ता जी की तकरीर बड़े गौर से सुनी, इसमें मजहब का सवाल क्या उठता है? इसमें कहीं यह नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी का दरवाजा दूसरों के लिए बन्द है। आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमने आटोनामी दे दी, हमने यूनिवर्सिटी की आजादी बहाल कर दी और जो सुप्रीम गवनिंग बाडी है, जिसको आप कोर्ट कहते हैं उसको आपने ऐसे बांध कर रखा है कि नोमिनेशन के लिए एग्जक्यूटिव कमेटी बनायें उसके जरिये आप कोर्ट के मेम्बर को लायेंगे। उसके मेम्बर को यह हक नहीं है कि वहां अपने वाइस चांसलर का पैनल भेज सकें। मैं आप से पूछना चाहती हूं कि आपने जो मेन स्ट्रीम की बात की। यूनिवर्सिटी कोर्ट को जब अख्तियार था अपने पैनल भेजने का उसमें चाहे जियाउद्दीन साहब हों, जाकिर हुसैन साहब हों, कर्नल बशीर हुसैन जैदी हों या अलीयावर जंग हों और चाहे बदरुद्दीन तैयबजी हों, उसमें कौनसा ऐसा वाइस चांसलर था जो मेन स्ट्रीम की बात नहीं करता था? कौनसा वाइस चांसलर था जो मजहबी फिरकेवारियत को हवा देता था? जितने भी मैंने नाम गिनाये हैं, सब की अपनी अह-मियत थी उनकी हैसियत थी। उन्होंने इस मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपना नाम कमाया है। तो कोर्ट ने इतनी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पैनल भेजा कि उन्होंने मुल्क के मफाद को सामने रखा और ऐसे लोगों को चुना जिन पर आप शक नहीं कर सकते हैं उंगली नहीं उठा सकते हैं। वह लोग वहां के वाइस चांसलर हुए। आज उसी कोर्ट को यह अख्तियार नहीं है कि पैनल भेज सके। यह अख्तियार है कि 5 का पैनल जो विजिटर के पास आयेगा, उसमें 2 के नाम को डिलीट कर सकता है, कह सकता है कि हम नहीं लेंगे। आज आप बात करते हैं कि हमने 72 के बिल में भी जो चीजें नहीं थी, वह इस में कर दी हैं कि एक आन-रेरी ट्रेजरार होगा जिसको एग्जक्यटिव चुनेगी, लेकिन जो एकाउन्ट्स होंगे वह एक आडिट रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट के सामने रखे जायेंगे। फाइनेंस आफिसर का उस पर कोई अख्तियार नहीं है। यह सारी चीजें किस किस्म की हैं। आपने जो भी नारा दिया, आज दो साल आपकी सरकार को आये हुए हो गये, आप हमेशा यह कहते आये कि माइनौरिटि करैक्टर हम बहाल करेंगे। चाहे इनकी पार्टी के सदर हों या मिनिस्टर हों, उनकी स्पीचिज को निकलवा कर देखिए, उन्होंने हमेशा यह बात कही। और आज मिनिस्टर साहब यह बिल लेकर आये हैं कि हम माइनारिटी करैक्टर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तो इस यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक करैक्टर तक को छीन लिया है। आज उसकी हैसियत क्या रहेगी। क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कागजी नाम रहेगा। अगर मुल्क की 114 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी माइनारिटी

के नाम से वाबस्ता हो जाये, तो क्या आफ़त या कयामत आ जायेगी ?

उत्तर प्रदेश की तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज आज बन्द हैं। कही कोई पढाई नही हो रही है। बी० ए० के रिजल्ट्स अभी तक नही आये है और नये एडमिशन भी नही हो रहे है। लेकिन उत्तेर प्रदेश मे अलीगढ की सैंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसी है, जहा डिसिप्लिन कायम है, सही तरीके से पढ़ाई भी हो रही है, सेशन्ज भी हो रहे है और कोई परेशानी या दिक्कत की बात नही है। मैं समझता हू कि इस यूनिवर्सिटी के मामले मे मजहब का नाम बीच मे नही लाना चाहिए। आनरेबल मेम्बर कहते है कि मुस्लिम कल्चर, तहर्जीब और तमद्दुन रहना चाहिए। गुप्ता जी माफ करे, यह कल्चर, तहर्जीब और तमद्दुन आज भी हिन्दुस्तान मे नुमाया है, आज भी उनकी एक हैसियत है, लोग उसको जानते है, देखते है और मानते है।

पता नही, खुसरो साहब ने कहा से उनको यह इत्तिला दे दी है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लडके 1976—77 से पहले आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० वगैरह मे नही आते थे। वह इस यूनिवर्सिटी की पिछली हिस्ट्री उठा कर देखें—अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के बराबर आई० ए० एस० और फ़ारेन सर्विस मे आते रहे है। पिछले साल से पिछले साल वहा के एक लडके ने आई० एफ० एस० से टाप किया था। वहा के लड़के बड़े-बड़े इजीनियर्ज डाक्टर्ज, साइंटिस्ट्स और स्कालर्ज बने है। वहा के महदी हसन साहब बेन डिजीजिज के टाप के डाक्टर है, जो अपना सानी नही रखते है, दूसरे मुलको से लोग उनसे शिक्षा लेने के लिए आते है।

मैं बार-बार दरख्वास्त करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी के माइनारिटी कैरेक्टर को बहाल किया जाये। अब सारी पावर सैंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है, चाहे वह विजिटर के जरिये हो, वाइस-चांसलर के जरिये हो और चाहे एक्सीक्यूटिव कमेटी के जरिये हो। 200 के करीब मेम्बर होंगे, जिनमे कुल 28 मुसलमान होंगे। 1972 के एक्ट के मुताबिक एक्सीक्यूटिव कमेटी मे ओल्ड बायज की तादाद 15 थी, लेकिन इस बिल मे उसको 10 कर दिया गया है—5 घटा दिये गये है। उस मे इतने नामिनेशन्ज किये जायेंगे कि वह ज्यादातर एक नामीनेटिड बाडी रहेगी, कहने के लिए चंद इलैक्टिड मेम्बरान होंगे। सरकार जो भी चाहेगी, वह करा सकेगी। सरकार से मेरा मतलब जनता पार्टी की सरकार से नही है। आज जनता पार्टी की सरकार है, कल कोई दूसरी सरकार आ जायेगी, और अगर गुप्ता जी की सरकार आ जायेगी, तो हम तो बेमौत मर जायेंगे (व्यवधान)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : आज भी हमारी गवर्नमेंट है।

श्रीमती मोहसिना किदवाई : मेरा मतलब आर० एस० एस०—प्युरल आर० एस० एस० सरकार से है। वैसे है तो आज भी उनकी ही सरकार।

खुदा के लिए इस यूनिवर्सिटी को दूसरे लोगो के रहमो करम पर न डालिये। उसकी आटोनामी को बरकरार रखिये और उसकी आजादी को बहाल कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हू कि यह यूनिवर्सिटी कभी भी किसी कम्युनल लाइन पर नही चलती है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जिस तरह वहा रहते है, वैसा माहौल किसी भी रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी मे नही रहा है। मैं आपको भी दावत देना चाहती हू कि आप वहा जाकर देखें।

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

मिनिस्टर साहब ने न बेग कमेटी का तजकिरा किया है और न खुसरो कमेटी का तजकिरा किया है, जिन्होने पूरी तरह से रीकमेंड किया है कि कौन कौन सी बाते इसमे रहनी चाहिए और कौन कौन सी बाते निकाल देनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मिनिस्टर साहब ने सिर्फ माइनोरिटीज कमीशन का तजकिरा किया है, लेकिन बेग कमेटी और खुसरो कमेटी की रीकमेंडेशन्ज का कोई तजकिरा नही किया है। मै पूछना चाहती हू कि आखिर उन्होने बेग कमेटी और खुसरो कमेटी की रीकमेंडेशन्ज को क्यो नही माना, जिन्हे खास तौर से इसके लिए बिठाया गया था। ऐसी कौन सी वजह थी कि वह सिर्फ माइनारिटीज कमीशन की रीकमेंडेशन्ज तक रह गये और उन्होने बेग कमेटी की सिफारिश को मेनशन तक नही किया। मै आपको पढ कर सुनाना चाहती हू कि बेग कमेटी ने क्या कहा है। उसने कहा है —

> " that, notwithstanding any judgement, decree or order of any court or tribunal to the contrary, the Aligarh Muslim University shall be deemed to have been established by the Muslim minority of India as an educational institution of its choice and shall be administered and managed as provided for in articles 29 and 30 of the Constitution or the University be defined as a University established by the Muslims of India "

इसी तरह की रेकमेंडेशन खुसरो कमेटी ने भी की है। लेकिन किसी भी चीज का तजकिरा मिनिस्टर साहब ने नही किया है। जितना पहले हमने उस बिल मे दिया था 72 मे उससे भी कुछ चीजो को निकाल कर खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि सिर्फ कानूनी पहलुओ मे उलझा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप देते है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला कोई माने नही रखता है इसलिए कि पार्लियामेंट को अख्तियार है, उसका यह हक है कि वह जब चाहे कान्स्टीट्यूशन को बदल सकता है। अगर आप दिल से यह लाना चाहते है, आपके जजबात मे सच्चाई है और आपने जो इस मुल्क की माइनारिटी से वायदा किया था माइनारिटी कैरेक्टर का, अगर आप वाकई उस का लाना चाहते है तो मैं मानती हू कि आप की राह मे कोई रोडा अटकने वाला नही है और आप कान्स्टीच्यूशन अमेंड करके इस चीज का माइनोरिटी को वापिस दे सकते है। इसमे कोई कानूनी पहलू की बात नही हो सकती है। इसमे सिर्फ जो एक जजबाती लगाव है करोडो मुसलमानो का, इस यूनिवर्सिटी से, उसकी मै बात करती हू और मै समझती हू कि यह अकसरियत की एक फराखदिली होगी, बडप्पन होगा कि वह अकलियत की एक इस्टीच्यूशन को उसका माइनारिटी कैरेक्टर बहाल करके अपने पर भी भरोसा पैदा कराए। आपने जो वादा किया था उसे पूरा करे वरना न आप के वादे की कोई वकत है न कोई इज्जत है और न कोई उस के ऊपर भरोसा करता है कि आप क्या वादे करते है क्योकि आज तक मैनिफेस्टो का एक भी वादा आपने पूरा नही किया है। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हू कि इन तमाम चीजो को छोडिए, कानूनी पहलू, मेन-स्ट्रीम इन सब चीजो को छोड कर एक अखलाकी पहलू से, सामाजिक पहलू से और जजबाती पहलू से गौर करके जैसा आपने वादा किया था माइनारिटी कैरेक्टर बहाल करने का उसे बहाल कर के इस मुल्क की माइनारिटी मे एक भरोसा और एतमाद पैदा करने की कोशिश कीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, अभी इस बिल पर जो चर्चाए चली है उन मे आर्टिकल 30(1) का हवाला दिया जा रहा है। मै आपके सामने

आर्टिकल 30 सब क्लाज (1) पढ रहा हूं :—

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

इस देश का दुर्भाग्य है कि नीति और नीयत मे कही तालमेल खा नही रहा है। हमारी नीयत कुछ रहती है और नीति कुछ और बनती है। आज क्या कारण है कि आजादी के 31 वर्षों के बाद भी जो मुस्लिम समुदाय है या जो हरिजन है, आदिवासी है उनका विश्वास इस देश मे किसी भी सरकार पर नही जम रहा है? यह बहुत बडा विचारणीय प्रश्न है। 31 साल गुजर गये और 31 साल गुजरने के बावजूद भी क्यो हम असुरक्षित महसूस करते है? जब तक आप इस बुनियदी सवाल का हल नही निकालेंगे तब तक हम समझते है कि समस्या का निदान नही होगा।

माननीय सदस्य त्यागी जी यहा बैठे हुए है। इन्होने अच्छे इटेंशन से ही वह रेलिजस इस्टीच्यूशन का बिल मूव किया है। लेकिन पूरे देश मे एक कोहराम मचा हुआ है। वह क्यो है? जो आदिवासी है, उन मे जो क्रिश्चियन धर्म को मानते है क्यो उनके दिमाग मे आक्रोश पैदा हो गया है? इसीलिए न कि यदि कोई आदिवासी है और वह क्रिश्चियन बन जाता है और एक वह जो क्रिश्चियन नही है दोनो के रहन सहन मे आसमान और जमीन का फर्क है और जब तक सरकार उन समुदायो के लिए जो क्रिश्चियन नहो हैं, उन लिए उनसे अधिक काम नही करता है जो मिशन उनके लिए करता है तब तक हम लाख चिल्लाते रहेंगे धर्म परिवर्तन से उनको रोक नही सकते है। इसलिए सब से बडा काम है कि आप मिशनरी को रोके। लेकिन मिशनरी को कहिएगा कि तुम हिन्दुस्तान से निकल जाओ तो हिन्दुस्तान के अन्दर ही जो लोग है उन को गुस्सा आएगा। सब से बडा उन को निकालने का एक ही तरीका है कि अगर मिशनरी एक रुपया खर्च करती है आदिवासियो के ऊपर तो आप दो रुपया खर्च कीजिए और यह देखिए कि उस का सही ढग से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नही। मिशनरी का डाक्टर दिन रात वही सोया रहता है, जा कर उन क दवा दारू करता है और हमारा डाक्टर, वहा पहुच नही पाता है। इसलिए जो अल्पसख्यक लोग है उन अल्पसख्यक लोगो के दिमाग से जो एक भावना बैठ गई है उस भावना को हमे निकालना है। अलीगढ यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध मे कहा गया कि 1875 मे मोहमडन एग्लो इडियन कालेज के नाम से स्थापना की गई थी। उसकी स्थापना करने वाल। मे सर सैयद अहमद साहब थे। 1918 मे उनकी मृत्यु हो गई और 1920 मे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको घोषित किया गया। उस समय तीन शर्तें दी गई थी। पहली शर्त यह थी कि इसमे 77 एकड जमीन होनी चाहिए और बीस लाख रुपया होना चाहिए। उन शर्तों की पूर्ति कर दी गई। 1951 मे समद् मे जो कानून बना उसके तहत इसको एकोनामी को, स्वतत्रता को समाप्त कर दिया गया। 1965 मे फिर एक आर्डिनेन्स आया और इसकी पूरी स्वतत्रता छीन ली गई। यह काम सिलसिलेवार बढ़ता गया। तमाम देश मे इसका विरोध किया गया। 1972 मे नूरुल हसन साहब, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि जि. थोड़ी बहुत बची हुई स्वतत्रता भी समाप्त हो गई। फिर तो समूचे देश मे एक आन्दोलन चला। उस समय फीरोजाबाद, बनारस और अलीगढ मे गोलिया तक

[श्री राम विलास पासवान]

चली । 1973 मे अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐक्ट पर सम्मेलन हुआ । जो लोग यहा पर इस वक्त बैठे है इनमे अधिकाश ने जाकर उसमे भाग लिया और सभी ने कहा कि आप लोगो की माग जायज है और जो कुछ भी हो रहा है वह आपके साथ अन्याय है । उस समय बहुत से लोगो ने गिरफ्तारिया दी थी । यहा पर राजनारायण जी नही, डा० फरीदी और तन सौ अन्य लोगो ने गिरफ्तारिया दी थी । 1975 मे खुसरो कमेटी के सामने यह मामला गया । खुसरो कमेटी की रिपोर्ट भी आई लेकिन अभी तक उसको नही माना गया । इस प्रकार से यह मोटी-मोटी बाते है जिनकी बुनियाद पर यह यूनिवर्सिटी चल रही है । जहा तक आजादी की लडाई की बात है, मै उन लोगो मे से हू जो यह नही चाहते कि इस देश मे कोई फिरकापरस्ती हो ।

माननीय कवरलाल गुप्त जी यहा से चले गए, इस देश मे देवी देवताओ के लिए कहा जाता है कि जमीन दी जाए, मन्दिर मस्जिद और गिरजाघरो के लिए जमीन दी जाए, मूर्तिया जिनमे जान नही है उनके लिए कहा जाता है कि जमीन दी जाए लेकिन जो आदमी है व भूखे मर जाये । मै कहता हू इस देश मे सभी की पूजा होनी चाहिए लेकिन जहा पेट जलता हो वहा पर धर्म की पूजा नही हो सकती है । इसलिए पहले आप भूखे लोगो को अन्न दीजिए, वस्त्र दीजिए, उनकी पढाई की व्यवस्था कीजिए उनके लिए मकान की व्यवस्था कीजिए और उसके बाद धर्म-कर्म और पूजा-पाठ की व्यवस्था कीजिए ।

आजादी की लडाई म महात्मा गांधी को महात्मा का पहला खिताब अगर किसी ने दिया था तो वह अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही थी । खान अब्दुल गफ्फार खा, डा० जाकिर हुसैन, मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, रफी अहमद किदवई, शेख अब्दुल्ला, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह—यह सभी अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे है । जहा तक इस यूनिवर्सिटी मे छात्रो के कान्विनेशन की बात है, वहा पर पहले 36 परसेंट नान-मुस्लिम स्टूडेन्ट थे और अभी भी मेडिकल तथा इजीनियरिंग कालेजेज म 60 परसेंट से अधिक नान-मुस्लिम स्टूडेन्ट हैं ।

अलीगढ म इतना बडा दगा हुआ, हमारे प्रधान मंत्री जी अलीगढ गए थे, उन्होने सराहना की, अलीगढ यूनिवर्सिटी के लडके रिलीफ के काम मे लगे हुए थे । एक तरफ रायट्स हो रहे थे और दूसरी तरफ वहा के लडको म इस तरह का जोश था । वे इस देश की मुख्य धारा मे जुडे हुए हैं । वे वहा पर उस समय रिलीफ के काम मे और एकता स्थापित करने के काम मे लगे हुए थे ।

सरकार अजीज बाशा वर्सेज यूनियन आफ इडिया केस का हवाला देती है । मैं सरकार म कहना चाहता हू कि इसमे सरकार के लिए कोई बडी बात नही है क्योकि प्रीवी पर्स के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया था । बैंक नेशनलाइजेशन का मामला आया था, जिस मे विरोध मे दिया गया था । अभी गो-वध की जब बहस चली थी, तो गो-वध के बारे मे भी उस दिन मैंने कहा था और यही बात कही थी कि विनोबा जी के प्रति हमारा सारा सम्मान है लेकिन जिस देश मे हरिजन, आदिवासियों की हत्या हो रही है, वहा सरकार गो-हत्या के सामने तो झुक जाती है लेकिन हरिजनो की जब हत्या होती है और माइनोरिटीज की जब हत्या होती है, तो

वहां सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन को बचाना चाहिए । यदि कोई बाबा, यदि इस देश मे कोई शकराचार्य इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी बात कहता है, या करता है, तो पहले उस के लिए कुछ करना चाहिए, उसके लिए मरना चाहिए और उस के लिए अनशन करना चाहिए । आज आप देखिये कि चारो शकराचार्यो का मिलन हो रहा है और यह एक बहुत भीषण मामला है । चारो शकराचार्य पुरी मे बैठ कर कोई वहा से फरमान जारी करेगे, कोई कही दूसरी जगह मे फरमान जारी करेगे और कोई कही और से फरमान जारी करेगे । आप उन की स्पीचो को सुनिये । पटना मे शकराचार्य ने यह कहा कि ये जो लोग है ये पैदायशी अछूत है । जब ऐसी बाते होती है तो मै आपसे कहता हू कि इस देश मे आप को और सरकार को बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा इस सम्बन्ध मे । आप कहते है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है । गो-हत्या के मामले मे भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी । उसमे आप नये सविधान सशोधन का मामला ला सकते है । प्रीवी पर्स के मामले मे भी ला सकते है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध और बैंक नेशनेलाइजेशन के विरुद्ध भी ला सकते है । तो क्यो नही, जब सुप्रीम कोर्ट इस मे बाधक होता है, आप सुप्रीम कोर्ट को यह कहते हैं कि ठीक है हम इसके लिए कानून बनाते हैं, ससद सर्वोपरि है सविधान मे सशोधन करने के लिए, आप इसको मानिये । मैं यह नही कहता कि आप यह करे और वह करे लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हू भारत सरकार से, जनता पार्टी की सरकार से कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऐसा कोई काम नही होना चाहिए जिससे हरिजनो, आदिवासियो और अल्पसख्यकों के मन मे एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठे और ऐसा करना सरकार का दायित्व हो जाता है । जब सरकार यह कहती है कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है । जब आप की नीयत बिल्कुल साफ है, तो आप अपनी नीति भी साफ कर दीजिए । तीन चीजों के सम्बन्ध मे जो यह मामला है कि माइनोरिटी करेक्टर जोडना चाहिए, आर्टीकिल 30 (1) के तहत इसका सचालन होना चाहिए और जो कोर्ट के स्टेटस को बनाने का मामला है, जिस को पावर नही दी गई है और जो कोर्ट के कम्पोजीशन का मामला है कि इस मे जो 160 लोग है, उन 160 मे से 50 यूनीवर्सिटी के एम्पलाइज हों और 57 बाहर के लोग हो, तो इस तरह के जितने मामले हैं, सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजो का इस मे इन्क्लूड करें जिससे अल्पसख्यकों के मन मे किसी तरह का भय न हो और उन के दिमाग मे किसी तरह की शका न रहे और जो अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जीवन है, वह अपने आप को राष्ट्रीय धारा के साथ जोडें । मैं वहा के विद्यार्थियो, शिक्षको और देश के तमाम अल्पसख्यको से यह आग्रह करूगा कि वे यह सोचे कि हम किसी की मरर्जी पर नही है । यहा के अल्पसख्यक किसी की मरजी पर जिन्दा नही रह रहे है । यह उन का देश है और वे इसमे अपने अधिकार चाहते है और वे अधिकार उनको मिलने चाहिए लेकिन जो देश की मुख्य धारा है, अपने अधिकारो की बदौलत, उसमे वे मिल जाए और वे यह समझे कि यह देश हमारा है । इस को समझकर वे सारे कामो के बारे मे सोचे ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हू और अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

MR. CHAIRMAN Before I call Shri Shyamnandan Mishra, I would like to inform you that the time for general discussion, including the Minister's reply, will be over by 5 p m and the Minister will take about half an hour. So, it is the pleasure of the House to extend the time?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR CHAIRMAN. So, the time for general discussion is extended by half an hour.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : सभापति जी, मैं इसे एक बड़ी खुशकिस्मती मानता हूं कि आज मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

जिस समय 1972 मे वह काला विधेयक आया था, जिस को लेकर बड़े-बड़े मुजाहिरे हुए थे सारे हिन्दुस्तान मे, सारे देश मे, और जो हमारे यहा अकलियत के लोग हैं, उन लोगों की भावनाए क्षुब्ध हुई थीं, भड़की थी, आज उस विधेयक के सारे बुरे असरात को खत्म करने के लिए यह विधेयक यहां आया है। मैंने उस समय भी उस के खिलाफ आवाज उठायी थी और जो एक बड़ा सम्मेलन हुआ था उसमें भी मैंने भाग लिया था। उस समय यह उम्मीद नही हो रही थी कि उस समय के निजाम को जिसने जो काला विधेयक बनाया था उस को खत्म करने में हमें बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन आज उस कामयाबी को सामने देखते हुए कुछ खुशी भी होती है और कुछ गरूर भी होता है।

आज हम लोगों ने देश में ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें अकलियतों की नजरो मे एक नयी उम्मीद जाग गयी है और आज उस उम्मीद को पूरा करने की कोशिश हम इस विधेयक के जरिये कर रहे हैं।

सभापति जी, मेरी राय मे इस विधेयक को बहुत पहले आना चाहिए था। यह बहुत देर से आ रहा है। इस सवाल पर माइनोरिटी के लोगों मे एक बेसब्री थी और उसी बेसब्री से मगर बे खामोशी के साथ दो साल तक इसकी तरफ देखते रहे। माइनोरिटी मे यह बेसब्री थी और हम इस विधेयक को जल्दी न ला सके, यह अच्छा नही मालूम होता था। जब हम इस विधेयक को देर से लाये तो इसके बारे मे हमें माइनोरिटीज कमीशन से विचार-विनिमय करना चाहिए था। वह सरकार नही कर पायी। जब हम ने माइनोरिटीज कमीशन बनाया है तो उसकी राय को वजन देना चाहिए था उस से पूरी मदद लेनी चाहिए थी। लेकिन हम उस से पूरी मदद नहीं ले रहे हैं इसका मुझे कुछ खेद है।

इस बिल को बहुत जल्दी लाना चाहिए था क्योंकि 1965 और 1972 के संशोधनों के बाद हमारे अल्पसंख्यक, अकलियत के भाइयों मे बहुत कुछ बेचैनी पैदा हो गयी थी। मैं नहीं जानता कि इन दो सालों मे इस वर्ग को सरकार मे अपनी नजरों से पीछे क्यों रखा? खैर, देर आयद दुरूस्त आयद। आज यह विधेयक आया है। इस मे कोई शक नहीं है कि 1965 और 1972 के संशोधनों के बाद जो बुराइया आ गयी थी उन को इस विधेयक के द्वारा बहुत दूर तक खत्म किया जा रहा है। इस मे सारे मुल्क के लोग सहमत होंगे और खास कर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग भी सहमत होंगे। मैं आज चाहता हू कि सदन मे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भाइयो के प्रति अपना और सदन का आभार प्रकट करू क्योंकि जिस समय इस विधेयक का निर्माण हो रहा था, जब इस के बारे मे सोच-विचार शुरू हुआ था तो उनकी कीमती शिरकत इस मे मिली थी और उन्होंने जिस भावना की, जिस नजरिये की मिसाल हमारे सामने पेश की थी उसके बारे में सोच कर मुझे बेहद खुशी होती है। उनकी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नही आई जिससे कि इस विधेयक के सही रूप देने मे कोई कठिनाई उत्पन्न होती। यह बात ठीक है कि उनकी राय थी कि विधान में धारा 30 के तहत जो संरक्षण प्राप्त है, वह पूरी तरह से उन्हें प्राप्त हो। जहां यह बात ठीक है वहां उसी जगह पर मैं यह भी अर्ज कर दू कि इस के बारे में जो कुछ वैधानिक या कानूनी द्विविधा पैदा हो गयी है और दो फैसले हमारे सामने आ गये है उनके समाधान के लिए यहां पर एटार्नी जनरल को आना चाहिए था। मैं बराबर इस राय का रहा हूं कि एटार्नी जनरल को पर्दा नशी न बनाये जाये और इस तरह से पर्दा नशीं न बनाया जाए कि पांच सालो में एक बार भी उनका यहां दीदार न हो सके। एटार्नी जनरल को

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

विधान के अन्तर्गत अधिकार है कि वे यहां आयें। लेकिन उनको बुलाया नही जाता। सरकार एक प्रेस्टिज का इश्यू (मुद्दा) बना लेती है जिस से उनको यहां पर नही लाती। हमारा अधिकार है कि हम एटार्नी जनरल की हाजरी तलब करें और वे इस के बारे में अपनी राय दें ताकि हम अपनी राय इस में ठीक ढग से कायम कर सकें। इस मे दो राय पैदा हो गयी है—अजीज पाशा के केस के बाद और उस के बाद जो केरल के मामले में उससे बडी बेंच ने फैसला दिया और जिसकी तरफ माइनोरिटीज कमीशन ने इशारा किया है। जब दो रायें साफ तौर पर हमारे सामने आ गई हैं तो एक दिक्कत और दुविधा की स्थिति हमारे सामने पैदा हो गई है। उसको दूर करने के लिए एटार्नी जनरल साहब को यहा तशरीफ लानी चाहिये थी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं हमें उनको बुलाना पड़ेगा और उनको तशरीफ लानी होगी, किसी भी स्टेज पर उनको सदन मे बुलाने की जरूरत पड़ेगी। इसका कारण यह है कि कानूनी और वैधानिक स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि उसका समाधान संसद के सामने उनके द्वारा होना चाहिये।

जिस पौधे के बारे में हम विचार कर रहे हैं वह बड़ा नाजुक पौधा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सही मानो मे देश के सामने एक मिशाल बन कर खड़ी है जिस पर सारे भारत के लोगों को फक्र होना चाहिये। इसकी जो तवारीख है उसके बारे मे बहुत चर्चा हुई है। आप इतनी दूर क्या जाते हैं? अभी जो अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे उनमे जो इस विश्वविद्यालय का रोल रहा है वह बड़ा ही शानदार रहा है। इस विश्वविद्यालय के अन्दर एक मैडीकल कालेज भी है जहा पर घायल लोग इलाज के लिए पहुंचाए जाते थे, किसी को टाग कटी हुई तो किसी को बाह, तरह तरह से घायल हुए लोगों को यहां पहुंचाया गया था। इन घायलों को देख कर वहां के जो लेक्चरार, प्रोफेसर या तालिबे इल्म थे उनके जज़्बे भड़के नही, उन्होंने बहुत शान्ति के साथ उन सब का इलाज किया और साथ साथ सारे शहर में शान्ति का पैगाम फैलाया। यह मिसाल सारे भारत के लोगो को अपने सामने रखना चाहिये। कम्युनल हार्मनी के मामले ही नही बल्कि स्टेंडर्ड के मामले में भी उसने देश के सामने एक मिशाल पेश की है। बहुत से स्थानो में उस तरह का शिक्षा का स्तर नही है जिस तरह का यहां है। बिहार के बारे मे मैं कह सकता हूं कि वहां जिस तरह से स्तर गिरा है उसको देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक मिशाल होनी चाहिये। दोनो के स्तर मे जमीन आसमान का फर्क है। स्टेंडर्ड के बारे में जब हम सोचते है तो बड़े बड़े एजुकेशनल सेंटर्ज से भी इसके स्तर को हम बेहतर पाते हैं और यह हमारे लिए फक्र की बात है। इसीलिए देश के लोग ही नही बल्कि 38 देशो के भी तालिब इल्म यहा आज पढ़ रहे हैं और इस तरह इस विश्वविद्यालय ने सारी दुनिया में अपना नाम कमाया है। ये सब चीजें हमे अपने सामने रखनी चाहियें।

माइनोरिटी करेक्टर के बारे में यहां बहुत बाते कही गई हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक मे घुमा करके नाक को छुने की कोशिश की गई है, इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है, नाक को सीधे नही बल्कि सिर के पीछे से घुमा करके छूआ गया है। इससे इन्कार नहीं किया गया है कि इसकी जड़ यहां के मुसलमान भाइयों ने कायम की थी। इससे इंकार नही किया गया है कि एम ए ओ कालेज की स्थापना मुसलमान भाइयों ने की थी। जब जड़ मुसलमान भाइयो ने कायम की तो साफ है कि आगे चल कर जो फैसला होगा उस में कोई दो रायें नही होगी, आगे के कोर्ट के फैसले में भी इस बात को साफ कर दिया जाएगा कि मुसलमानो के द्वारा ही इस संस्था को कायम किया गया था। जहां तक सरकार

[श्री श्याम नन्दन मिश्रा]

का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने उसकी मजबूरी है, उसको इस फैसले को कानूनन मानना होगा। वर्ना जहा तक सरकार के मन्तव्य का सवाल है यह बिल्कुल साफ है कि सरकार ने इससे इन्कार नही किया है कि इसको मुसलमान भाइयो ने कायम किया है। इससे इन्कार भी कैसे किया जा सकता था जबकि जमीन मुसलमान भाइयो ने दी है, पैसे उन्होंने दिये थे। सारा इन्तजाम करने वाला संगठन मुसलमान भाइयो ने पैदा किया था।

माइनोरिटी कारेक्टर होने से सेक्युलर कारेक्टर मे बाधा आ सकती है, यह भी यहा कहा गया है। उस संदर्भ मे सरक्षण और खुदमुख्तारी के मामले मे सरकार की लाचारी का जिक्र भी किया गया है। इसके बारमे मैं बाद मे अर्ज करूगा। पहले मै यह कहना चाहता हू कि अगर माइनोरिटी कारेक्टर उसका स्वीकार किया जाता है तो क्या सैक्युलर कारेक्टर मे कोई बाधा आएगी, जो हमारा धर्म निरपेक्षता का दृष्टिकोण है उस मे क्या कोई बाधा आएगी ? इसकी चर्चा मैं करना चाहता हू। मैं हिन्दू हूं, तो इसके मायने क्या हैं ? अगर श्याम नन्दन मिश्र कहते हैं, एलान करते है कि मैं हिन्दू हू तो क्या इसके मायने यह हो जाते है कि मैं धर्म-निरपेक्ष नही हू ? अगर कोई भाई मुसलमान है और कहता है कि मै मुसलमान हूं तो क्या इसके मायने यह हो जाते है कि वह धर्म-निरपेक्ष नही है, सैकुलर नही है ? जो इन्सान के लिये सही है, वही इस्टीट्यूशन के लिये भी सही होगा। इसलिये मैं अपने सभी भाइयो से अर्ज करूगा कि जहा तक यह सवाल है इसे दूसरी तरह से देखें पहले हम कहते थे, सुनते थे, हम लोगो के घरो मे ऐसी बाते होती थी, एक रूढ़िगत और परम्परागत भावना होती थी कि मुर्गी खाये तो मुसलमान हो जाये मगर आज मुर्गी पर हिन्दू इतना हाथ साफ करते हैं कि मुर्गियां मुसलमानो को मिलना भी मुहाल हो रहा है।

उसी तरह की बात उर्दू के बारे में भी कही जाती है कि उर्दू मुसलमानो की जबान है। मगर उर्दू कोई जबान पर लाये तो उसको मालूम होगा कि उसमे क्या लुत्फ है। इसलिये उर्दू को मुसलमानो की जबान कहना बिल्कुल गलत है। आज भी कहा जाता है कि हमारे मुसलमान भाइयो ने अपना शैक्षणिक योग्यता और विकास के लिये इसको कायम किया था। जब उन्होने ऐसी मिसाल दी है कि दूसरो के भी शैक्षणिक विकास मे उससे कोई बाधा नही पडती है—और अब यह बात साफ तौर पर नुमाया हो गई है—तो मै समझता हू कि इस सम्बन्ध मे कोई भी सदेह दिमाग मे लाना बिल्कुल ठीक नही है। इसलिये मेरी दो राय हैं—एक तो जैसा मैने अर्ज किया कि अटार्नी जनरल साहब यहा तशरीफ लाये और इसके बारे मे कानूनी स्थिति साफ करें और दूसरी बात यह है कि सरकार कहे कि मजबूरिया तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक है। लेकिन हमारा इरादा है कि धारा 30(1) के तहत जितने भी सरक्षण प्राप्त है, वे सारे सरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को प्राप्त होगे। सरकार को यह कहने मे कोई कठिनाई नही होनी चाहिये। क्या आप समझते हैं कि उनकी खुद-मुख्तारी इस दर्जे तक जायेगी कि उसमे बहुत कुछ बुराईया आ जायेगी ?

राइट टू एडमिनिस्टर के मायने यह नही होते कि राइट टू मैल-एडमिनिस्टर। सरकार को बराबर यह अधिकार होगा कि अगर वहा किसी तरह की बुराई आये तो उसको देखे और जहा तक हो सके, उसका सुधार करे। ससद् का भी रोल है इसमे वह जो कानून बनाये, ससद जो कानून बनाये, तो मेरी राय मे अगर सरकार यह आश्वासन देती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हम कुछ ज्यादा करने से मजबूर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वह हमारे

लिये कानून है, मगर जो कुछ भी इरादे हैं धारा 30(1) के तहत वे सारे इरादे हम पूरे करेंगे। अगर सरकार का यह कस्द है कि वह उन सारे संरक्षणों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दे, तो जो हमारे माइनोरिटी के भाइयों के दिमाग में जो थोड़ा बहुत शक है वह भी दूर हो जायेगा। हालांकि उनके शक बहुत कुछ दूर हो चुके हैं, यह मैं मानता हूं।

मै दो, तीन तफसील की बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चहता हूं। हमने तो कहा है कि इसमें हम स्वायत्तता, खुद-मुख्तारी लायेगे और इसका जो प्रशासन है, उसे हम लोकतात्रिक बनायेंगे। यह हमने कहा है कि हम जम्हूरी निजाम फिर से वहा लायेंगे क्योंकि 1972 और 1965 मे जो संशोधन हुए थे उनसे वहां की जम्हूरियत और जम्हूरी निजाम पर काफी करारी चोट आयी थी, हमने कहा है कि हम वहां स्वायत्तता फिर से लायेंगे, जम्हूरियत लायेंगे, हमने साफ तौर पर इस बिल के स्टेटमैंट आफ रीजन्स मे कहा है, उसके मुताबिक काफी बाते पूरी होगी।

मैं विश्वविद्यालय कोर्ट के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोर्ट की तादाद है 162 और उसमें 105 यूनिवर्सिटी के अन्दर के लोग है, 57 बाहर के हैं। वह पालिसी मेकिंग बौडी होगी, नीति निर्धारित करेगी। मै पहले पूरी तरह से इसमे नहीं गया था तो यह बात मेरे दिमाग मैं आई थी कि ठीक सिलसिला सरकार ने सोचा है और विधेयक में रखा है। लेकिन जब मैं इसमें गहराई में जाता हूं, तो मुझे लगता है कि नीति बनाने का सारा अधिकार यूनिवर्सिटी के भाइयों को ही नहीं देना चाहिये। जब उन की तादाद 105 रखी गई है, और बाहर के लोगों की सिर्फ़ 57 तो ऐसी स्थिति में तो उसका नाम "कोर्ट" न रखा जाये, उसका नाम "एकैडेमिक कौंसिल" रख दिया जाये। अगर मंत्री महोदय उसका नाम कोर्ट रखते हैं, तो उन्हें उसे सही मानों में कोर्ट बनाना चाहिये। उसमें बाहर के तत्वों, आउट साइड एलिमेंटस, को अच्छी तादाद मे लाना चाहिए। जो डानर्स है जिन लोगों ने उस जमाने मे बहुत दान दिये हैं—इस भावना से दिये हैं कि शिक्षा का विकास हो और हमारे बहुत से तालिब-इल्मों को जो पहले उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती थी वह उन्हें मिले,—उनकी तादाद ज्यादा हो। इस यूनिवर्सिटी के एक्स-स्टुडेंटस की तादाद भी बढ़ाई जाये। यानी मिला-जुला कर कोर्ट को सही मानों मे नीति निर्धारित करने वाली संस्था बनाना चाहिए, और उसमे बहुमत यूनिवर्सिटी के अन्दर के लोगों का नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा ही करना हैं, जैसा कि अभी है, तो उसका नाम एकैडेमिक कौसिल रख दिया जाये; यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

एक्सीक्यूटिव कौसिल मे भी इन्टर्नल एलिमेंटस, अंदर के तत्वों की प्रबलता है, बहुमत है, जितना नही होना चाहिए। उसमें उन के व्यक्तिगत स्वार्थ भी निहित होते हैं। जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ हों, वही वहां के मालिक बना दिये जायें, यह ठीक नही लगता है। इसलिए एक्सीक्यूटिव कौसिल में बाहर के तत्वों को लाना चाहिये; तभी एक संतुलित एक्सीक्यूटिव कौसिल हो सकेगी, वर्ना एक्सीक्यूटिव कौंसिल का रूप बहुत कुछ अनबैलेंस्ड, असंतुलित हो जायेगा। बाहर के लोगों को लाने से उसमें उदारता भी आयेगी, और चारों तरफ़ देख कर जो दृष्टिकोण बनाया जा सकता है, वैसा दृष्टिकोण उसका बनाया जा सकेगा।

हमारे कुछ भाई कहते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी को खुद-मख्तारी दे दोगे, तो शायद आगे चल कर खामोश तमाशबीन की तरह देखते रहोग, वहां बुराइयां होंगी, मगर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूं कि क्या

[श्री श्याम नन्दन मिश्र]

राज्य का यह बुनियादी अधिकार खत्म हो जायेगा कि हम वहा पर शिक्षा का जो स्टैंडर्ड कायम करना चाहते हैं, वह स्टैंडर्ड हम वहा पर रखें। जब हम देखेंगे कि उस स्टैंडर्ड में, उस स्तर मे, जरा भी व्यतिक्रम होता है, तो फिर हम जिस तरह के रेगुलेटरी मेजर्स लेना चाहेंगे, वैसे लेंगे।

लेकिन इसके साथ साथ मंत्री महोदय इस बात पर भी गौर करें कि एक तरफ तो वह युनिवर्सिटी को ज्यादा अधिकार नही देना चाहते है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सारे अधिकार एक तरफ से विजिटर के हाथो मे केन्द्रित कर दिये है। करीब करीब सब अख्तयारात विजिटर के हाथो मे केन्द्रित हैं। विजिटर के हाथो मे सारे अधिकार दे देने से युनिवर्सिटी के अधिकारो के ज्यादा मानी नही रह जाते हैं।

विजिटर के पास कितने अधिकार है? अगर विजिटर साहब चाहें, तो वहां जो भी कानून बनेंगे, वह उन को अस्वीकार कर सकते हैं। वहां कोई भी नई संस्था विजिटर साहब की राय मे ही बन सकेगी, युनिवर्सिटी उसमे ज्यादा कुछ नही कर पायेगी। इस तरह से विजिटर को जो बहुत अधिकार दे दिये है, उससे भी जरा इमबैलेंस, असन्तुलन, पैदा होता है। इतना इमबैलेंस नही होना चाहिए।

फिर सवाल उठता है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति को दूसरे स्तर पर क्यो रखा गया है? यानी जिस तरह से चांसलर, प्रो० चांसलर की नियुक्ति होती है उसी तरह से वाइस चांसलर की नियुक्ति क्यों नही होगी? वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए भी एक पैनल कोर्ट की तरफ से जाना चाहिए मगर यहां वह बात नही रखी गई। इस विधेयक में पैनल पेश करने का विधान नहीं है, उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए मेरी विनम्र राय है कि आप वाइस-चांसलर की भी नियुक्ति अगर उचित ढंग से करना चाहते है तो आपको यह अधिकार कोर्ट को देना चाहिए कि वह उसके लिए पैनल विजिटर के पास भेजे और उसके मुताबिक उसकी नियुक्ति हो।

इन्ही शब्दो के साथ मिलाजुला कर कर इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं समझता हू कि सरकार ने सही दिशा मे कदम उठाया है और इसका स्वागत होना चाहिए। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को सरकार पर विश्वास रखना चाहिए कि जिस सरकार ने इस हद तक उनके सारे शक शकूक को दूर करने की कोशिश की है उसी सरकार से उनको इसकी भी उम्मीद हो सकती है कि जो थोडी बहुत बाते है उनको भी वह पूरी कर दे। उन्हे पूरा करने के रास्ते मे जो कठिनाई सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, अब उस कठिनाई को हम हल करने के लिए सरकार ने जिस बुद्धिमानी से काम किया है जिस बारीकी से काम किया है उसको हमारे अल्पसंख्यक भाई अच्छी तरह, यह न समझें कि उससे कुछ कतराया गया है। यह सरकार कतराने वाली सरकार नही है और जहा तक अल्पसंख्यको की भावनाओ का सवाल है, उनके जजबात का सवाल है, उस मे यह सरकार कुछ आनाकानी नही करेगी। एक खास परिस्थिति में अगर उसने इस बुद्धिमानी से और बारीकी है, जैसा मैंने अर्ज किया, काम किया है तो उसका एप्रिसिएशन, उसकी सराहना सभी जगह पर होनी चाहिए। इन शब्दो के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Mr. Chairman, Sir, we should see that measures like this should be discussed without any passion and we should try to discuss this matter as objectively as

possible keeping before us the question as to, how best to achieve the true objective of the seat of learning, of the University. There is a decision of the Supreme Court. There are several other views. But the fact is that the Supreme Court came to the conclusion that the University, in fact, was set up bv a statutory enactment and as such it was not established by a particular community, although I find that there is a recognition of that in the proposed amendment also that the nucleus of the University was founded by the Muslims of course with donations from different communities. That is a historical fact.

We believe that the minority in this country, especially the Muslims require due facilities and opportunities for their all round advancement including advancement in the educational field. There have been many occasions when the legitimate demands for the protections of the rights of the minorities including Muslims have not been given due regard. We feel that, in the matter of education and social advancement removal of disparities between the communities, removal of inadequate representation in the Government services, etc., the minorities have to be given a special consideration.

We respect the sentiments of our Muslims brothers in repect of Aligarh Muslim University, but the question we have to answer is what should be the nature of interest or control that would have to be exercised with regard to this University; and whether the proposals brought forward in this Bill maintain the true democratic charater and at the same time, the secular character of the institution. We are sure that our Muslim brothers do no wish to make the University an exclusive preserve of any one section or community of people. We appreciate and support the proposals giving greater emphasis for promotion of educational and cultural advancement the Muslims by this University.

It has been the sad experience in this country that wherever or whenever the strictly minority character has been conceded in an educational institution, the democratic functioning has been hampere resulting in what one may call undemocratic trends which, we are sure, our Muslim brothers and sisters would not tolearate or accept. Let us not create an institution which may give rise to possibility, if not certainty, of coteries coming into power and control in the name of maintaining a particular character. We want to avoid this great institution of leaning coming into the control of a handful of persons representing vested interests. We have to maintain the university as a great seat of learning, specially for the promotion and advancement of Muslim culture and education and at the same time we have to see that we do not disturb its essential secular character which alone can maintain its true tradition and help in the real advancement of the objects for which it has been established. Therefore, we have to consider seriously whether by insisting on the question that it was established by the Muslim minorities as such, whatever the implications may be, its character as a Muslim minority institution will have to be maintained. It may not actually be desirable because such a demand will not help in democratisation of the institution; on the other hand there is great possibility of undesirable tendencies devoloping in the management and administration of the university. We are sure that all right-thinking people believing in democratic rights will not desire that in the name of creating minority institution, undemocratic trends get hold over the university and its affairs.

[Shri Somnath Chatterjee]

Today the fact is that there is a guarantee of majority Muslim representation in the management, in the teaching staff as well as in the number of students. So far as the demand that all the facilities and advantages which are contemplated by article 30(1) of the Constitution should be conferred on this institution, is concerned, we have to appreciate the true ambit of article 30(1). Mishraji rightly said the right to administer does not mean the right to maladminister, but in what fields, in what areas, even the courts or even this sovereign parliament can interfere—it is not easy to define. What this Parliament can concede or decide to be within the ambit and scope of article 30(1) of the Constitution is doubtful. Will this sovereign parliament have the right to lay down as to the form of management of institutions like that? For example, laws can only indicate that if moneys have been advanced there should be proper accountability. I doubt whether parliament can lay down as to how money should be spent or who will form the managing committee of Court or academic council. Parliament cannot decide, nor can state legislatures do that and that has to be appreciated speaking for the party I am representing here, we have no manner of doubt that minority sentiments are based on good reasons in many cases, but I would appeal to all my friends that our greatest emphasis should be on maintenance of the democratic character of the institution where the objectives of educa tion, the objectives which prompted the founders of this University to set up this university, namely, to make it a great seat of learning irrespective of any particular consideration of caste creed or community, how to achieve that should be our biggest endeavour. My time is limited. I know there are various minority institutions, schools, colleges in our country where we have found that the teachers and the non-teaching staff have no manner of security of service. Their service condition remains untouched or beyond the reach of even legislative provision. We have seen how teachers are dismissed in minority institutions and when they went to the court, it was held that it was a minority institution and right to administer was conceded to them in the Constitution and that could not be interfered with. What will be even the qualification of a teacher, it has been held by many decisions, the court cannot interfere with Let us not try to assess the merits of the Admendment Bill on the basis of what the court can do and what the court cannot do. In the ultimate analysis one may have to face that situation. Our aim should be how best we can maintain and uphold this great university in its true form, in its true character. That would be our endeavour, at the same time removing any doubt from the mind of persons connected with the university as teachers, as students, as non-teaching staff about any undemocratic attitude or control developing in the University Therefore our sole mission before this august House and before the country is this,—without meaning any disrespect to anybody, let us not discuss this matter with any passion A feeling may not be developed—that the Future of this great institution will be bleak if a particular character is not conceded in law as such or that if that character is not conceded, the sentiments of the great muslim community in this country are not being properly respected. That is not our view. We would request the hon. Minister to kindly see that so far as the representation in the different bodies set up under the statute is concerned, they are taken there. So, far as acceptability to our friends belonging to the Muslim Community who are part and parcel of us is concerned, we should try to do away or minimise all avoidable feelings so that it becomes as much acceptable as possible.

We have given some amendments. I shall deal with them when the amendments come. But only on one aspect I may say about the Teachers and the Students Associations. There is an attempt in the Bill to try to foist upon the teachers and the students a particular type of Association, with control by the authorities, which is not desirable. We shall request the hon. Minister to consider that at the appropriate time.

SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West): Mr. Chairman, I have heard with great admiration the speech of my very distinguished but young friend Shri Ram Vilas Paswan. I endorse every word of what he said and what he said would do honour and credit to many older statesmen both in this House and outside this House. If the distinguished community of Muslims has like any other minority to live in honour and dignity and a sense of security in this country, the Government must learn to accept whole-heartedly, as a general rule, the recommendations of the Minority Commission which we have created.

17.00 hrs.

The minorities Commission unanimously made three recommendations in this matter—(a) the autonomous character of the university must be restored, (b) the democratic functioning of its various organs must be restored and (c) the minority character of the institution must be acknowledged. The Janata Government deserves to be congratulated for having accepted the first two demands and the Bill, I think, sufficiently meets the requirements of both autonomy as well as democratic functioning, but I wish to express my sense of distress and disappointment that we have not been able to meet the substance of the Muslim demand, viz., that it should be understood, acknowledged and declared to be an institution established by the minority, so that the minority can exercise its constitutional rights under article 30 of our Constitution. The demand made by the community is not an unreasonable demand. It is not a demand that some Muslim obscurantists should take over this institution and preach either violence or communalism in their teaching institutions. The demand is only a symbolic demand that the community must manage its affairs, while Parliament continues to retain its paramount right to legislate and to administer the affairs of the university in the most important matters on which public control is essential and is required. This Parliament will still be in a position to lay down full conditions and restrictions about excellence of teaching standards, about qualifications of teachers, about conditions of employment, about discipline, about good manners and about public order and peace in that institution. What is more, Parliament is not debarred from legislating and laying down provisions which will harmonise the aims and objectives of this university with the aims and objectives of a secular polity in which the institution is established and will continue to exist and flourish. On this occasion, it is well to recall what the original intention of the founders of the university and the earlier nucleus—the school—was. It was then said that this college may expand into a university whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the gospel of free enquiry, the gospel of larged hearted toleration and the gospel of pure morality. If our Muslim friends will run this institution, and I have no doubt that they will run it, in conformity with the declared objectives of the real founder of this great institution, I have no doubt that we need in this country not one Aligarh Muslim University but many such universities so that obscurantism should go, so that ultimately the nation is welded into one unified and strong nation.

It is true that there is some hostility to this institution, but let us re-

[Shri Ram Jethmalani]

call who is the cause of the hostility and when did the hostility commence? Upto 1965, nobody had doubted the minority character of this institution; nobody, not even a tyro of a lawyer ever thought that the Muslim Community was not entitled to administer this institution in accordance with article 30. But let me say it for the benefit of my distinguished sister, Shrimati Mohsina Kidwai and my good friend, Shri Banatawalla, that it was the Congress Government of 1965 that first doubted the Muslim character of this institution, that attached the Muslim character of the institution and that by the amending Act of 1965 finally demolished and destroyed the Muslim character of this institution. Those who claim to be champions of the rights of the Muslim community and those who honestly believe in the protestations which they make on the floor of the House and outside, I thought that they would in all honesty not ally themselves with the party opposite and yet continue to talk in the terms in which they talk. It has been the consistent policy of the Congress in the past to bribe some individual Muslims and give them what they do not deserve and at the same time to deprive the whole community of what rightfully belongs to that community and the deprivation of the Muslims' right to the administration of this University is one conspicuous illustration of that policy. I am sorry to say that some of those who are now beating their breasts about that University are those who have succumbed to this policy in the past and are even today prepared to continue their political alliance with the evil forces which destroyed the real character of the University.

Sir my Government ought to have accepted the minority character of this institution boldly and courageously. I understand its constraints. I understand its limitations. But I neither sympathise with them nor accept them though I do understand them. It is no use taking shelter behind the judgement of the Supreme Court, a judgement which itself was founded on false affidavits, on false affidavits filed by people in the employment of the then Congress Government who went and swore untruth on affidavits and the Supreme Court was misguided into rendering the judgment which it did. The Supreme Court was persuaded to accept an argument which ought not to have been made by the Government of that day that merely because the University was incorporated by an Act of the Legislature, therefore the Legislature created it. It is as absurd as, for example, in England in good old times when divorce was not permissible by judicial action and people had to go to the Parliament to pass the private bill of divorce. If 'A' wanted a divorce from his wife Parliament had to pass a private bill of divorce. When the Parliament did pass such and Act of divorce did it mean that it is the Parliament which divorced the wife or divorced the husband? It is ultimately the husband who divorced the wife though he brought it about by an Act of Parliament. It is a matter of surprise that the Supreme Court accepted this hyper-technical argument. When hundred people gather together to incorporate a company under the Companies Act, it is they who create the company and not the Registrar of Companies who issues the certificates of incorporation. Therefore I have not the slightest doubt that the judgement of the Supreme Court was wrong and if a courageous Janata Government acknowledges the minority character of that institution the Supreme Court is bound to reverse its own decision.

I do not need the presence of the Attorney-General here. I agree with every word which Shambabu said except his irrational desire to

see the Attorney-General here. We all know that this decision of the Supreme Court has been commented upon by a great constitutional writer, Mr. Seervai in the first volume of his monumental book. He has devoted six pages to an analysis of this decision and he has come to the conclusion that this decision was clearly wrong and productive of grave public mischief. He is also of the opinion, and current legal opinion and juristic opinion is almost unanimous, that the previous decision though not formally and expressly yet impliedly has been over-ruled by subsequent decisions of the Supreme Court. Therefore, I want that our Government should take courage in both hands and meet the substantial point of the Muslim demand and at the same time, educate our Muslim friends that in 1971 the Congress Election Manifesto declared that the minority character of the institution shall be restored and yet that promise was not fulfilled by the Congress and Mrs. Gandhi. And what the poor Muslims of this country got was a further dose of diminution of their rights in the shape of 1972 Act which was a further crime which compounded the original crime of 1965 committed by the earlier Congress Government. The moment we educate the Muslim masses and tell them 'we trust them, we give them love and trust their loyalty' voluntarily they will demonstrate that the University will further the aims of its real founder, Sir Syed Ahmed. We accept their right under article 30 of the Constitution, but I hope that someday those enlightened Muslims, while expecting us to respect their Fundamental Rights, will also apply their mind to the Directive Principles of the Constitution, and the Muslim leaders will come forward, their enlightened leaders, to respect article 44 of the Constitution and give this country a uniform civil code, which shall not interfere with the religious beliefs and practices of anyone, but shall make this nation into a true and full secular civic society.

I may say for the benefit of the Education Minister that this matter has not been sufficiently debated in the party's councils, and this matter should be proceeded with in this House only after the party has applied its mind at greater length than it has been possible for the party to do so.

Finally, I thank you for allowing me an opportunity to speak.

श्री राज नारायण (राय बरेली) : प्रान-ए-प्वाइन्ट आफ इन्फर्मेशन । मैं यह जानना चाहता हूं कि परसों उपाध्यक्ष की ओर से कहा गया था कि 5 बजे के बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा। हस्पताल से हमने कहलवा दिया कि जब बोलने का होगा तो डाक्टर से पूछकर जायेंगे । मैं डाक्टर से पूछकर आ रहा हूं और मुझे अपना दांत भी दिखाना है। आप कृपा कर के मुझे बता दें कि मुझ को बोलने का मौका कब मिलेगा ?

सभापति महोदय : परसों का आपने क्या फरमाया ?

श्री राज नारायण : परसों का मतलब यह है कि जब कि सैशन चल रहा था, कल छुट्टी थी । हमने उनसे कहा कि देखिये, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में मैं जेल जा चुका हूं, 3 महीने काट चुका हूं, आन्दोलन कर चुका हूं। इस पर बोलने का मेरा एक अधिकार बनता है और हमारे पार्लियामेंटरी एफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि इस पर आपको जरूर बोलने का मौका मिलेगा, पर आज नहीं, आप अगले दिन बोलिये यानी टु-डे 5 बजे के बाद।

सभापति महोदय : अगर रिकार्ड पर ऐसा हो तो अलग बात है । मैं तो यहां था नहीं, मेरे पूर्व के अधिष्ठाता महोदय ने आपका नाम 3 बजकर 38

[सभापति महोदय]

मिनट पर बुलाया, उस समय आप उपस्थित नहीं थे ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह अस्पताल से आ रहे हैं । 5 बजे के बाद इन्हें बुलाया था ।

श्री राज नारायण : मैं अस्पताल से आया था और मैंने कह दिया था कि मैं पुनः अस्पताल जा रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ टैस्ट हो रहे हैं और 5 बजे के बाद उन्होंने कहा था । मैं 5 बजे के बाद आया हूं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर कुछ अर्लियर हमको मौका बोलने का मिलेगा तो हमारे दांत का टैस्ट हो जायेगा ।

सभापति महोदय : मैं जांच करवा लेता हूं, दिखवा लेता हूं ।

श्री राज नारायण : देख लीजिये बड़े मजे में, क्योंकि मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि इस सदन में जो घोर फैनेटिक हिन्दू, कम्युनलिस्ट हैं, अगर उनकी यह कोशिश हो कि हम बोलने न पायें तो यह आप सफल मत होने दीजिये ।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Chairman; this Bill has been brought forward day before yesterday with the object of defeating the Bill moved by Shri Banatwalla to seek to restore the minority character of the Aligarh Muslim University. Everybody expected from this Government, especially as they proclaim from the housetops their concern for the minorities, as has been explained by my good friend, Shri Jethmalani, that the interests of the minorities will be protected and at least the symbol of the emergence of the cultural development of the Muslims, namely, the Aligarh University, will be restored its minority character. But that hope of the Muslim minorities of this country has been betrayed by this Bill; in fact, I am using a mild term to express the situation.

Sir, here I do not want to trace the whole history of the minority character of this institution, but it is relevant to refer to the Report submitted by the Minorities Commission. The Minorities Commission had discussed largely and extensively the minority character of this institution and also they made some suggestions regarding the Judgement of the Supreme Court. What was the demand all along? The demand of the Muslim minority was to make an amendment or to make an enactment on the floor of the House to overcome the difficulties created by the Judgement of the Supreme Court. This is the point. Here, Mr Jethmalani was referring to the observations made by Mr. Seervai. Here the Commission itself referred to the relevant portion.

Mr. Seervai writes:—

"As regards the meaning given by the Court to the word 'establish', it is submitted that the meaning is not correct. It was not disputed that 'to found' is one of the meanings of the verb 'to establish', and it is submitted that in the context, it is the correct meaning as is clear from the definition of the verb 'to found', namely 'set up or establish (especially with endowments)'. The Muslim community established the University and provided it with its endowments. Even if the definition given by the Court were correct, namely, 'to bring the University into existence', it is submitted that the Muslim Community brought the University into existence in the only manner in which a Uni-

versity could be brought into existence, namely, by involving the exercise by the sovrign authority of its lgislative power. The Muslim community provided lands, buildings, colleges and endowments for the University, and without these the university as a body would be an unreal abstraction."

Here again, it says how the university came into being. I quote:—

"How this University came into being is well known. After a careful study of the then prevailing conditions in India, that great man, the late Sir Syed Ahmed Khan, arrived at the conclusion that the backwardness of the Muslim community was due to their neglect of modern education."

So, this is the main criterian behind the establishment of the University.

The Report of the Minorities Commission further says how even the Government itself has given the extension of support. Regarding this, it says that "this is the effort of the Muslim community in India to which His Majesty's Government extended all support". This is what the Commission itself acknowledged. In 1877 Lord Lytton, the Viceroy, visited Aligarh and laid the foundation stone of the College and this is mentioned in the Report. But I do not want to take the time of the House on this. It is very clear from the Report itself how the fund has come. Again, I quote from the Report:

"Fund collecting had begun in earnest. In January, 1911, a Muslim University Foundation Committee was established followed by a Constitution Committee set up in February to draft the Act, the Statutes and Regulation of the University." Then it goes on:

"Thus, as the Chatterjee Report records, "the movement for the establishment of the Muslim University continued to gather strength from year to year till on the 10th June, 1911, the Government of India communicated to the Secretary of the State the desire of the Muslim Community and recommended that sanction might be given to the establishment of such a University at Aligarh."

So, it is very clear from the Report of the Minorities Commission that it is the effort of the Muslim community that formed a Committee to collect funds. They have been given full support by the British Government, they have been given land and everything in the name of the Muslim community and the Muslim University is all along established. That is why Mr. Seervai himself says that merely on a technical interpretation of the word 'establish', it cannot take away the historical fact that the Muslim community has done all their best to establish the University and the Muslim character of the University exists. And every one knows—there may be other people who studied there—that this University at Aligarh always flourished as an embodiment of Muslim culture, the culture of the minority community in the country, and has also given leadership to the educational and cultural flourishing of the minority communities of the country.

The Chairman of the Minorities Commission, Mr. Masani, resigned because you refused even to acknowledge his letters properly. Mr. Masani sent you a letter stating: "Please do not rush the Bill through Parliament because we are seized of the matter", but you said there is nothing more to discuss. Mr. Masani is a good friend of Mr. Jethmalani. I do not know why Mr. Jethmalani was keeping quiet over his resignation. He asked for freedom of vote in the House. I expected he would have asked the Minister why he did not reply to Mr. Masani, who is one of the veteran politicians—of course, we disagree with him—and forced him to resign from the Commission. I was expect-

[Shri Vayalar Ravi]

ing him to say something about it, but I am sorry he did not say anything.

This Report itself goes to prove that the interest of the Government is to defeat the demand of the Muslim minority in this country. The Commission says:

"In our view, the judgment ignores the historical background to the founding of the University and the legal and moral commitments that the State accepted when it provided by the Act for the taking over of the assets of the original foundation at Aligarh as also the endowment which the Muslim community had collected."

And they conclude:

"Aligarh Muslim University occupies a position of unique importance and significance in the country precisely because it is an educational institution established by the Muslims."

I ask the hon Minister this precise question: do you accept this conclusion of the Minorities Commission? If you accept it, you have to accept the amendment moved by my hon. friend Shri Banatwalla. His amendment can be easily accepted because it reads:

"University" means the educational institution of their choice, established by the Muslims of India, and which was incorporated and designated as Aligarh Muslim University in 1920 by this Act."

It is very simple, you can accept it. But are you prepared to accept it?

You are talking of democratic functioning. The Statement of Objects and Reasons says:

"There had also been persistent demands both inside and outside Parliament for the restoration of the basic character of the University and its democratic functioning."

What is its basic character? I was expecting the hon. Minister to explain what he means by "basic character". I wish, when he replies to our arguments, he explains where he has restored the basic character of the University. Why are you completely taking away the minority's demand for the establishment of the minority character of the University? The basic character of the Aligarh University is its minority character. That minority character you are taking away. How can you talk of democratic functioning.

Is there democratic functioning envisaged in the Bill? Only five are to be elected, the rest are to be nominated. The Executive Council has more power than the Court. It means that the functioning of the Court is subject to the control of the Executive Council, which is only a nominated body which is controlling the whole thing. It means the existence of Government control all the time. It means you are eroding further the rights of minorities to run their own University. So, I have no option but to oppose this Bill, because the intention of the Bill is to defeat the purpose of Mr. Banatwalla's Bill and hurt the feelings of the minority community in this country.

I have a genuine feeling that the linguistic minorities are also facing a threat from the hon. Minister's new education policy by which he is making a direct attack on the regional languages. You are introducing it not by the back door, but by the front door. So, you are against the religious as well as linguistic minorities. It means that the stream roller politics of the Hindi-speaking Janata party is coming. Religious and linguistic minorities have no option but to oppose and fight, and fight to the last till they succeed.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Mr. Chairman, Sir, most of the points relating to this Bill have been debated and we find a consensus of what my good friend, an eminent lawyer, Mr. Ram Jethmalani, said just now and he told Mr. Shyamnandan Babu that, when he is there, why he is not an Attorney General. I can appreciate that. On all sides, there is a common agreement and, if the Education Minister has been able to appreciate, it is this that the basic demand of recognising the minority character of the Aligarh Muslim University has to be accepted. Any effort to dilute or deviate from it by any quibbling of words will only be a dishonest exercise.

In 1971, the Congress in its manifesto had said, "We will restore the minority character." We did not do so.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: You took away more rights.

SHRI VASANT SATHE: We had eminent educationalists like Prof. Nurul Hasan who advised us otherwise and we accepted their advice. Now, the Janata Party also gave an assurance to the people that the minority character will be restored.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: Question.

SHRI VASANT SATHE: But now they have an adviser in our other eminent educationist, the hon. Minister, Dr. Pratap Chandra Chunder. If he also goes down in history again defeating its objectives, I would say that the Muslim community in this country will have no hope. They had great hopes from the Janata Party. If the Janata Party also deceives them, in spite of Mr. Ram Jethmalani and friends like him, then the only meaning will be that the Janata Party is dominated by chauvinistic school of thought represented by men like Mr. Kanwar Lal Gupta. I was shocked to hear the speech which he made today. He said that aticle 30 must be reviewed and done away with; the minorities must not be given any right in educational matters of their own; they must be brought into the mainstream. When somebody asked him, "Does that mean all must go to *shakhas*?", he said, "Yes; that is what I mean by 'mainstream'". He did say that. Everybody must be Indianised. This concept is so chauvinistic. Mr. Ram Jethmalani was waxing eloquent protecting the rights and the guarantees that they are giving to minorities. What happened in Jamshedpur and Aligarh is a proof of the guarantee.

What happened yesterday? There was some disturbance here. Today, I want to go on record to say that shopkeepers are being bullied to give false statements so as to implicate, under the pressure of RSS, some other people.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: What about photographs? (*Interrutions*)

SHRI VASANT SATHE: Beware, Mr. Ram Jethmalani. That is why you do not have this honest approach to the minority character of the Aligarh Muslim University.

What do you mean by "basic character"? The basic character is the minority character. If a Christian institution or a college is established, what is the basic character? The basic character is that it is a Christian institution. That is what is guaranteed by article 30. How can you take that away? Merely by taking refuge under a wrong interpretation of the Supreme Court, can you say that you will deny this character? If you are honest to yourselves, two courses are open. One is, the Supreme Court itself, by Government, must be approached to review. The second—and this is simpler—is this: you have been

[Shri Vasant Sathe]

amending the Constitution left and right under Mr. Jethmalani; why can't you bring about this one sensible amendment by saying that it will be 'deemed'? Even if you do not want to have a Constitutional amendment, if you accept Mr. Banatwalla's amendment to this Bill, the purpose will be served. That will clarify. Therefore, I would submit this to you: restore this character and the rest will follow. Once you guarantee that character, the rest should logically follow. The fear goes away. The proof of the pudding is in the eating. The entire record of the Aligarh Muslim University has been a glorious record of secular character and behaviour and noble and broad-minded approach. The people that have been its products have been real nationalists. Exceptions can always be there; but, by and large, this is true. In the recent Aligarh riots, when RSS played havoc under the leadership of their leader Mr. Nauman, how did the Aligarh Muslim University people behave? They went and distributed food to both Hindus and Muslims; they gave treatment in their hospital to both Hindus and Muslims. We saw that with our own eyes. The University students were not in any way excited or they did not try to excite any communal feelings; they wanted to bring about peace. Is that not a noble example of what this University is trying to do? Then what are you afraid of? Therefore, give the autonomy. You must give full powers to their Court. Giving the powers to the Visitor will not do. The Visitor is the President and 'President' in a way means the Education Minister; the President cannot do anything; the President acts only on the advice of the Government. So, by that, in effect, you are taking that power, you are usurping that power. Please do not do that. Let us be honest. If you want to be fair to the Aligarh Muslim University people, then restore their minority character. This should be agreed on all sides. Regarding the lacunae that are there in this Bill, let us agree to Mr. Banatwalla's amendment. Let the Bill be sent to a Joint Committee. The Heavens are not going to fall. You accept in principle first here in the House that the minority character will be restored. Accept that amendment, and for remedying the rest of the shortcomings of the Bill, send it to a Joint Committee, so that the Joint Committee can examine clause by clause and a proper Bill giving in effect the rights, the autonomy and full freedom to run this institution to the Aligarh Muslim University, can come.

With these words, I conclude, and I thank you for giving me this opportunity to speak.

MR. CHAIRMAN: Now, the point is this. Everybody should help me in this matter. The practice has been established here that, once the Member who is called is absent, he will be called only after the total list has been exhausted. Mr Raj Narain has just now told the House that, the day before yesterday, he made a request . . .

श्री राज नारायण : मै अस्पताल से आ रहा हू और डाक्टर ने यह कहा है कि आप जल्दी आइएगा, तो हम आपरेशन कर देंगे और आज आपरेशन डे है हमारे दांत का ।

AN HON. MEMBER: He was in the hospital.

MR. CHAIRMAN: I know that. But this should not be a precedent. As a special case . . .

SHRI G. M. BANATWALLA: A special case for those in the hospitals, for the hospitalised people . . .

MR. CHAIRMAN: Those who are in the hospital are not expected to come here for speaking. Moreover, if they are intending to come, they should send an intimation earlier.

So, this will be only one exceptional case.

Mr. Raj Narain.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): I am glad that you have allowed Mr. Raj Narain to speak, but I hope the House would extend the time so that some of us who are left out will get the opportunity.

सभापति महोदय : श्री राज नारायण ।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, क्या मुझे आप आज्ञा देंगे कि मैं बैठ कर बोलूं ?

सभापति महोदय : आप बैठ कर बोलिये ।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : श्रीमन्, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने विशेष कृपा कर मुझे बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा पर मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से इतना निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि आज का जो विषय है, वह ऐसा विषय है कि जो सरकारों को उलट सकता है, पलट सकता है, खड़ा कर सकता है और बैठा सकता है । इसलिए इस विषय पर जरा गंभीरता से विचार हो । जो साहित्यकार हैं वे कहते हैं कि सरकार अंधी होती है और बहरी होती है और जब वह यह होती है तो बराबर होती है। मैं गांधी जी का उद्धरण दे रहा हूं किसी टोम, डिक, हेरी का नहीं । अब मैं संविधान के, जिसके प्रति हम ने शपथ ली है, अनुच्छेद 30 (अ) की तरफ आता हूं—

"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

यह संविधान का अनुच्छेद 30(अ) है । हमारे भाई, मित्र, शिक्षा मंत्री जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि यह जो संविधान का अनुच्छेद है क्या यह विधेयक उसकी पूर्ति कर रहा है ? और अगर यह इसकी पूर्ति नहीं कर रहा है तो क्या यह असंवैधानिक नहीं होगा ? क्या जिस संविधान के प्रति और जिस महात्मा गांधी की समाधि पर हम ने सरकार में आने के पूर्व शपथ ली थी कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल कर अपने देश का नव-निर्माण करेंगे, उस सब के प्रति हम लोग वफ़ादार रहे हैं ? हमारा एक सिम्पल, नन्हा और निर्दोष बिहारी के दोहे के समान प्रश्न है—

सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर

देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर ।

अगर आप इस दोहे को ठीक से समझेंगे तो पायेंगे कि यह गंभीर घाव कर रहा है । मैं नहीं चाहता कि आप हमारी बात को न मानें और इस देश को गंभीर घाव पहुंचायें । अगर आप हमारी बात को अनसुनी करेंगे तो इस देश को गंभीर घाव पहुंचेगा और पहुंच कर रहेगा । मैं पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा मगर घाव आने से आशंका भी नहीं । क्योंकि मैं उन व्यक्तियों में हूं कि जब इन्दिरा जी की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पर संशोधन किया था तो सारे उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने बगावत का झंडा खड़ा किया था और खूब हड़ताल की थी और जब मैं डा० फ़रीदी के साथ गिरफ्तार कर के लखनऊ जेल में भेजा गया था तो जो उस समय के हमारे अध्यक्ष थे,

[श्री राज नारायण]

श्री जुल्फिकार उल्लाह साहब यहां विद्यमान हैं, ये हमारी बात के साक्षी होंगे। मुझे समझाने के लिए आदरणीय चन्द्र भान गुप्त गए, बाबू त्रिलोकी सिंह जी गए, बड़ी-बड़ी विभूतियां गईं और कहने लगीं आप अनशन तोड दें। मैंने कहा कि आप चले जायें। जब तक इस देश में इन्साफ नहीं होगा, मुसलमानो, सिखों, ईसाइयो, पारसियों और जितने भी अल्प-संख्यक कहे जाने वाले लोग हैं, जातियां हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा तब तक मेरी भूख हड़ताल टूटेगी नहीं। सारा जेल का रिकार्ड पड़ा हुआ है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो जेल का रिकार्ड बनवाते हैं केवल पोलिटिकल सफरर बनने के लिए। दो तीन दिन के बाद मेरे मन में आ या कि जब ऐसा वातावरण बन गया है और कम से कम पांच छः सौ मुसलमान हमारे साथ थे और एक ढंग से खाना एक ढंग से उठना बैठना, प्रार्थना आदि को ले कर जो परिभाषा हमने रिलिजन की की है मुझे खुशी है कि वही परिभाषा डाक्टर फरीदी ने की और तमाम मुसलमान लोग गदगद हो गए और कहने लगे कि सच्चा रिलिजन यही है।

अब परम आदरणीय श्री श्री 108 डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र वह हमें बताए कि इन भावनाओं की पूर्ति कैसे होगी, कहां से होगी? अपने मित्र राम जेठमलानी को सुन रहा था। वह बाम्बास्टिक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह से शब्दों को इस्तेमाल कर देने से क्या समाज में आमूल परिवर्तन हो जाएगा? उन से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो बाम्बास्टिक इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हैं। डा० राधाकृष्णन की फिलोसोफी को मैं जानता हूं, उनका मैं विद्यार्थी रह चुका हूं, आचार्य नरेन्द्र देव जी का विद्यार्थी मैं रह चुका हूं, परम पूज्य आदरणीय मालवीय जी का विद्यार्थी मैं रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि मानव तथा का सम्बन्ध कब कैसे होता है। और हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम कल्चर को, उनके तमद्दुन और दीन और ईमान को महफूज रखने का अधिकार नहीं देते हैं तो यह विधेयक रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए।

मुझे माफ करें मैं बीमारी की स्थिति में हूं और बीमारी मैंने खुद बुलाई है क्योंकि डाक्टर कहा करते थे कि आप एग्जास्ट हो रहे हैं, अपनी शक्ति से अधिक काम कर रहे हैं, आप को कुछ विश्राम करना चाहिये। अभी मैं ने जो किताब विदेश से मंगाई है उसका दसवा भाग ही टाइप करवा कर के ला सका हू और शेष नौ भाग कल आएंगे। वन टैथ ही आज मैं लाया हू—

सभापति महोदय : कितना समय आप लेंगे ?

श्री राज नारायण : एक घंटा दो घंटा जितना आप कहेंगे ले लूगा।

सभापति महोदय : आपने तो कहा था कि संक्षेप मे आप अपनी बात कहेंगे।

श्री राज नारायण : आप हमारे परम आदरणीय मित्र रहे हैं। समय सब को बनाता है। इस वास्ते समय की गति को आप भी पहचानें।

सभापति महोदय : कितना समय चाहते हैं ?

श्री राज नारायण : अनावश्यक समय नहीं लूंगा।

जो टाइप मैं करवा कर लाया हूं वह चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

"Extracts from the American-intelligence sponsored research work.

MILITANT HINDUISM IN INDIAN POLITICS—A Study of the R.S.S.

इस स्टडी के कुछ पोर्शन को मैं आदरणीय सदन की सेवा में प्रस्तुत करूंगा इस निवेदन के साथ कि यह आदरणीय सदन देखे कि क्या यह पैरेलाइज्ड बिल पंगु विधेयक इस प्रकार के लोगों को उस में प्रवेश पाने से रोक सकेगा ?

मैं इस समय जल्दी-जल्दी में बता देना चाहता हूं, चूंकि समय हमको शायद कम मिले।

"The genuine ideology of the Sangh is based upon principles formulated by its founder Dr. Hedgewar. These principles have been consolidated and amplified by the present leader in a small book called "We or Our Nationhood Defined"."

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : यह रैलेवेंट कैसे है साहब ?

श्री राज नारायण : दिस इज मोस्ट रैलेवैन्ट। हमारा प्वाइन्ट यह है कि जिनके विचार ऐसे हों, वह उसमें कैसे रोके जा सकते हैं ?

सभापति महोदय : आप बैठकर बोलिए।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य को रोका जायेगा तो उठ जाना पड़ता ही है। इसलिए और मेम्बरों को शांत रखा जाये।

श्री राज नारायण : हल्ला मत मचाइये। चतुर्वेदी जी हमारे मित्र हैं, असेम्बली से ही मित्र हैं, इनका पूरा खानदान हमारा मित्र है। मुझे अफसोस है कि गांधीजी के वाक्यों में—धन, पद, सत्ता का लोभ बड़े-बड़े अनर्थ कराते हैं। आदरणीय चतुर्वेदी जी, कृपया आप मुझे सुनिये।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : मैंने राजनारायण जी से कहा कि जो 9/10 रह गया है, जब वह आ जाये तभी रखिए।

श्री राज नारायण : वह भी आयेगा कि आर० एस० एस० को कब-कब सी०आई०ए० ने कैसे-कैसे पैसा दिया।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : तो वह तभी कहिएगा।

MR. CHAIRMAN: It is already 5.50 p.m. The time-limit fixed for this Bill is 6 O'clock. Apart from Mr. Raj Narain, there are still four more speakers to participate in this discussion. They are Prof. Mavalankar, Mr. Chitta Basu and two members from Janata Party. The hon'ble Minister has also yet to reply. May I know from the hon'ble members as to how much time for discussions should be extended.

श्री श्रीकृष्ण सिंह : कल नहीं, आज ही हो।

MR. CHAIRMAN: There are two points to be decided. First, how much time is to be extended and secondly whether we have to sit today and finish it. First, let me understand from the House as to what is the desire of the House as to how much time is to be extended.

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : माननीय सदस्यों की जो लिस्ट है, उसमें ऐसा लगता है कि दो-चार रह गये हैं। अगर सदस्य को-आपरेट करें तो जल्दी भी यह हो सकता है और आधा घंटा और बढ़ाकर इसे पूरा कर सकते हैं। आज ही पूरा होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : सदस्यों को एतराज न हो तो आज ही पूरा हो जाये ।

श्री विनायक प्रसाद यादव : सभापति महोदय, समय बढ़ा दिया जाये और इसको कल ले लिया जाये । (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to extend the time by one hour more for general discussion and also whether all the hon'ble Members are prepared to sit for one hour more after 6 O'clock?

SOME HON'BLE MEMBERS: Not today. Let it be tomorrow.

MR. CHAIRMAN: What does the Minister say?

श्री लारंग साय : यदि सब की राय है तो कल भी कर सकते है ।

MR. CHAIRMAN: So, we will have one hour more for general discussion tomorrow The convention is unless all the members agree the time of the House cannot be extended. Now, I will request Mr. Raj Narain to continue with his speech and conclude before 6 O'clcok.

श्री राज नारायण : सभापति महोदय, आप सदन को मर्यादित रखने की अनुकंपा करें, जिससे बीच में कोई मुझे डिसटर्ब न करे ।

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि बीच में कोई कतई न बोले ।

श्री राज नारायण । अब माननीय सदस्य जरा ध्यान से सुनें :

On September 1, 1949, the Sangh chieftain was reported to have stated that—

"We cannot make progress unless our social and political institutions are based on Bharatiya ideal."

The Sangh uses the term 'Culture' in its widest sense. Political, economic, religious and social activities are aspects of 'Culture'.

मैं इसे इस लिए पढ़ रहा हूं कि आज बहुत से लोग समाचार पत्रों के जरिए यह विवाद खड़ा करते हैं कि

We are cultural. We are political. At the time of merger, this idea was not discused. This is absolutely false. At the time of merger, this idea was fully discussed.

एक माननीय सदस्य : यह डिसकशन किस पर हो रहा है ?

श्री राज नारायण : डिसकशन इस बात पर हो रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन मात्र से मुसलमानों की भावनाओं की पवित्रता की रक्षा नहीं होगी । इस लिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं । (व्यवधान) आर० एस० एस० जाये जहन्नुम में (व्यवधान)

The genuine ideology of the Sangh is based upon principles formulated by its founder, Dr. Hedgewar. These principles have been consolidated and simplified by the present leader in a small book called "We or Our Nationhood defined." written in 1939.

Please hear Mr. Mishra ji. This was written in 1939.

'We can be described as the RSS 'Bible'. It is the basic Primar in the indoctrination of Sangh volunteers. The principles contained in it are still considered entirely applicable by the Sangh membership.

आगे कहा गया है :—

The basic principle that Hedgewar emphasised unceasingly in the train-

ing of his followers was 'Hindustan is for the Hindus'.

मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने भारत के संविधान की शपथ ग्रहण की है,

Do they share this idea that Hindustan is only for Hindus? If you say that 'Hindustan is only for Hindus', my dear friend, you are a traitor. आगे देखिये जरा— This is the basic theme of "We". Golwalkar begins "We" by defining what he considers to be the true meaning of concept of Nation.

"... the idea contained in the work 'Nation' is the compound of five distinct factors fused into one indissoluble whole. The famous five "Unites" ... Geographical (country), Racial (race), Religious (Religion), Cultural (culture) and Linguistic (language)".

Those who do not believe in the religion of RSS have got no right to remain in India. How by this arrangement Aligarh Muslim University will work or the Administration of the Aligarh Muslim University will exclude these people from going there to join the agitation? The whole bill is bogus. Then I come to the next point.

"There are only two courses open to the foreign elements either to merge themselves in the national race and adopt its culture or to live at the sweet will of the national race."

या तो वह मर्ज करें या उन की स्वीटविल पर रहें, वरना हिन्दुस्तान में उन के लिए जगह नहीं है।

सरदार पटेल की डेफिनिशन से लोगों की आंखें चौंक जायेंगी कि उन्होंने इन का क्या डिफाइन किया है :

"... non-Hindu people in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion, must entertain no idea but those of glorification of the Hindu race anl culture, i.e. they must not only give up their attitude of intolerance and ungratefulness towards the land and its age-long traditions but must also cultivate the positive attitude of love and devotion instead—"

"... .The philosophy of "WE" forms the foundation for contemporary RSS plans and activities. It fosters an outlook that is critical of Congress policies, strengthens the view that the Muslims are traitors to the country and instils finally an intense desire for "Akhand Hindustan"

MR. CHAIRMAN: Now, Mr. Raj Narain, you please finish your speech.

SHRI RAJ NARAIN: Please give me two minutes more. I will finish my speech. Let the Muslim Members belonging to Congress and Janata Party understand what the RSS is.

SHRI SAUGATA ROY: Is he speaking on banning the RSS?

PROF. P. G. MAVALANKAR: Is it all relevant to the Bill?

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: He says that RSS has influenced this Bill.

SHRI RAJ NARAIN: This Bill will help RSS. That is the whole point.

DR. PRATAP CHANDER CHUNDER: He has not even read this Bill. He got a copy from me just now.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI RAJ NARAIN: I will only quote what Sardar Patel said:

"There is a group in this country which is not satisfied even by the assassination of Mahatma Gandhi. I am prepared to prove it to anybody. This group intends to assassinate Jawaharlal Nehru. This information has been given to me by a person connected with L. B. Bhopatkar, the ex-President of the Hindu Mahasabha. A group connected with the Hindu Mahasabha has assassinated Mahatma Gandhi. I was bitterly criticised when Mahatma Gandhi was assassinated for having failed to protect his life. But when I had begun to take proper steps to prevent further crimes, you say that the civil liberties are in danger."

MR. CHAIRMAN: I am sorry, the time is over. Your speech is deemed to be over. Now I call the next speaker, Prof. P. G. Mavalankar. He will speak tomorrow.

18.03 hrs.

The Lok Sabha then adjournel till Eleven of the Clock on Thursday, May 3, 1979/*Vaisakha* 13, 1901 (*Saka*).

GMGIPND—M—919 LS—19-7-79—880.